



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल संख्या-05

{धारा 4(1)(ख)(v)}

सहकारिता विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों
का निर्वहन के लिये प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम,
अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

कार्यालय-निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल

सहकारिता विभाग

संख्या-749/नि.स.स.-उत्तरांचल/2002

देहरादून दिनांक जनवरी 02,2003

:आदेश:

सहकारी बैंको में विशेषतः बैंकिंग क्षेत्र में ऋण देने की व्यवस्था अत्यन्त जटिल है जिसके कारण इस प्रकार के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति सहकारी बैंको से ऋण लेने में परहेज करते हैं मेरी जानकारी में यह भी लाया गया है कि अत्यधिक कागजी कार्यवाही किये जाने के कारण लोग सहकारी बैंको में ऋण लेने के लिये आवेदन ही नहीं करते, वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ब्याज का प्रतिशत हर क्षेत्र में कम हो रहा है, ऋण लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल कर दिया गया है सहकारी बैंकिंग व्यवस्था तब तक प्रगति नहीं कर सकती है जब तक इसे वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल न बनाया जाये।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये सहकारी बैंको में ऋण लेने की व्यवस्था का सरलीकरण और ब्याज दरों के औचित्य पर सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है समिति एक पक्ष में अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगी।

1-श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक-

अध्यक्ष।

2-श्री अरविन्द कुमार मिश्रा सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक टिहरी-

सदस्य।

3-श्री एल.डी. भगत सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक हरिद्वार-

सदस्य।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

संख्या-749

/नि.स.स.-उ.

/2002

तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल देहरादून।

2-प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक, देहरादून।

3-सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल।

4-सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक रुड़की हरिद्वार।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

कार्यालय पत्रांक 1979-84	निबन्धक /अधि0/कैम्प	सहकारी /2005-06	समितियों /दिनांक	उत्तरांचल जुलाई 20,	देहरादून। 2006।
-----------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	------------------------	--------------------

1-समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियों उत्तरांचल।

2-समस्त सचिव / महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरांचल।

विषय-निबन्धक सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश के परिपत्र सं0 सी-48/81-29/एस.सी./अधि0/दिनांक 29.08.86 का निरस्तीकरण।

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह लाया गया है। कि निबन्धक सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश के उक्त परिपत्र के अनुसार सहकारी कृषि ऋण समितियों के कर्मचारियों के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त किया जा रहा है। जबकि उक्त परिपत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार शुद्ध लाभ की गणना नहीं की जा रही है। और निर्धारित प्रोत्साहन कमेटी के संज्ञान में लाये बिना उक्त प्रोत्साहन का वितरण किया जा रहा है। अधिकांश समितियों में कर्मचारियों को उक्त परिपत्र के अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान तो किया जा रहा है। किन्तु समिति सदस्यों को उनके अंशों पर कोई भी लाभांश नहीं दिया जा रहा है। जिससे कृषक सदस्यों को रोष व्याप्त है।

अतः निबन्धक सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश के उक्त परिपत्र सी-48 दि0 29.08.86 एवं परिपत्र सं0 सी-133/वसूली दिनांक 17.04.86 एवं परिपत्र सं0 सी-1/अधि/एस.सी. दिनांक 30.07.86 के क्रियान्वयन पर उत्तरांचल राज्य में तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस परिपत्र की प्रतिलिपि सचिव, जिला सहकारी बैंक संबंधित बैंक अध्यक्ष को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(नवीन चन्द्र शर्मा)

निबन्धक

सहकारी समितियों, उत्तरांचल।

पत्रांक- 1979-84 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी।

2-समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तरांचल।

3-अपर निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तरांचल।

4-सचिव सहकारिता, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।

निबन्धक

सहकारी समितियों, उत्तरांचल।

1-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरांचल।

2-प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0।

इस कार्यालय के परिपत्रांक 577/हाउसिंग दिनांक 05.10.2002 एवं परिपत्रांक 826/हाउसिंग दिनांक 22 मार्च 2003 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला सहकारी बैंको के ऋण व्यवसाय में वृद्धि एवं उत्तरांचल की जनता के हितार्थ दिये जाने वाले भवन ऋण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

1-आयकरदाता के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठित नागरिक, व्यवसायी, कृषक, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जिनके नाम वांछित ऋण की राशि से अधिक मूल्य की अंचल सम्पत्ति हो निर्धारित जमानत देकर नगरपालिका क्षेत्र, टाउन एरिया, छावनी एरिया के साथ ही विकास खण्ड मुख्यालय एवं बैंक शाखा मुख्यालय कस्बा/ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के किनारे तीन लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक भवन ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।

2-जिस क्षेत्रों में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का प्राविधान नहीं है वहाँ पर ग्राम प्रधान से नक्शा स्वीकृत/अनुमोदित कराकर शाखा प्रबन्धक स्वयं निर्मित होने वाले भवन से सन्तुष्ट होने के पश्चात ही ऋण हेतु संस्तुति करेंगे।

3-ऐसे भूखण्डों पर जिनकी रजिस्ट्री नहीं होती है, 30 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे अथवा पुश्तैनी सम्पत्ति होने की दशा में राजस्व रिकार्ड/भूखण्ड स्वामी/पट्टादाता के रिकार्ड में दर्ज कराकर/बन्धक कर त्रिपक्षीय अनुबन्ध कराकर, तीन लाख रु0 की अधिकतम सीमा तक ऋण सुविधा दी जा सकेगी।

4-ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी जो बैंक के कार्यक्षेत्र में सेवारत हो लेकिन भवन जनपद से अन्यत्र बनाने के इच्छुक हो, को जनपद से बाहर भी पूर्व निर्धारित ऋण सीमा के अन्तर्गत ऋण देने की सुविधा प्रदान की जायेगी, यह कार्यवाही सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति के उपरान्त ही हो सकेगी। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सम्पत्ति जिस स्थान पर है वहाँ निबन्धक/उप निबन्धक, राजस्व कार्यालय में बैंक के पक्ष ऋण देते समय बन्धक कर ली जाये बैंको से अपेक्षा की जाती है कि बैंक ऋण व्यवसाय में वृद्धि से उपरोक्तानुसार ऋण वितरित करें तथा ऋण देने से पूर्व परिपत्रों के अन्य सभी प्राविधानों का नियमानुसार पालन करते हुए बैंक धन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अन्य सभी प्राविधान पूर्ववत रहेंगे।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

2-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0को बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी।

3-सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

4-सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

5-महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

प्रेषक,

विभापुरी दास
प्रमुख सचिव सहकारिता
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

सहकारिता अनुभाग

देहरादून:

दिनांक

17

मार्च,

2004।

विषय:- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स) में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी नियमावली 2004 का प्रख्यापन।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो में बैंकिंग प्रवृत्ति का बढ़ावा देने तथा प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में मिनी बैंको का गठन किया गया है। मिनी बैंक/पैक्स में जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाये रखने के लिए केरल/तमिलनाडु राज्यों के पैटर्न के अनुसार निक्षेप बीमा निधि बनाने पर विचार किया गया जिसमें सहकारी समितियाँ, जिला सहकारी बैंको तथा शीर्ष सहकारी बैंक लि० का अंशदान होगा।

चूँकि सहकारी समितियाँ बैंक नहीं हैं, अतः इस प्रकार जमा की गई धनराशि की गारन्टी बीमा के माध्यम से होना सम्भव नहीं है। इस कठिनाई के निवारण हेतु एक गारन्टी योजना बनाया जाना प्रस्तावित है और इसी योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त मॉडल गाइडलाइन्स के आधार पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004 निम्नलिखित रूप में प्रख्यापित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स) में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004।

1-नाम-

इस नियमावली को प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004 कहा जायेगा।

2-परिभाषाएँ-

जब तक कि इस विषय में या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-

(3) बैंक का तात्पर्य-

(4) शीर्ष बैंक का तात्पर्य-

(5) विभाग का तात्पर्य-

(6) शासन का तात्पर्य-

(7) निबन्धक का तात्पर्य-

(8) फण्ड का तात्पर्य-

(9) फण्ड का श्रोत-

(1) विनियमावली का तात्पर्य प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना विनियमावली से है।

(2) समिति का तात्पर्य प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से है जैसा कि उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 में परिभाषित है।

जिला सहकारी बैंक से है।

उत्तरांचल राज्य में कार्यरत शीर्ष सहकारी बैंक से है।

सहकारिता विभाग से है।

उत्तरांचल शासन से है।

निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल से है।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति निक्षेप गारन्टी से है।

(1) बैंक स्तर पर एक कारपस फण्ड बनाया जायेगा जिसे प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति निक्षेप गारन्टी फण्ड कहा जायेगा। इस फण्ड में निम्न प्रकार अंशदान किया जायेगा।

अ- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति द्वारा विगत 31 मार्च को जमा निक्षेप का 0.18 प्रतिशत (वर्ष दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर)

ब- जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स में विगत 31 मार्च का जमा निक्षेप का 0.10 प्रतिशत

(वर्ष दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर)

स- शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा पैक्स में विगत 31 मार्च का जमा निक्षेप का 0.30 प्रतिशत। (वर्ष दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर)

द-राज्य सरकार द्वारा पैक्स में विगत 31 मार्च को जमा निक्षेप का 0.30 प्रतिशत। (वर्ष दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर)

(2) प्रथम बार विगत 31 मार्च को समिति के निक्षेप के आधार पर उपर्युक्त अंशदान की गणना की जायेगी तदनुसार प्रत्येक सहकारी वर्ष में विगत 31 मार्च को निक्षेप में हुई वृद्धि के आधार पर उपरोक्तानुसार वार्षिक अंशदान की गणना की जायेगी।

(3) देय अंश का भुगतान सहकारी वर्ष के समाप्त होने के एक माह के अन्दर सभी अंशदाताओं द्वारा कर लिया जायेगा।

(4) फण्ड की समस्त धनराशि जिला सहकारी बैंक में इस हेतु खोले गये खाते में रखी जायेगी और उस पर बैंक द्वारा वही ब्याज दर की सावधि जमा निक्षेप पर बैंको द्वारा तत्समय दिया जा रहा है दी जायेगी।

(5) समिति द्वारा क्षति की पूर्ति सम्बन्धित से कानूनी कार्यवाही करते हुए वसूल करके की जायेगी। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि समिति द्वारा बैंक कारपस फण्ड में जमा करने हेतु हस्तान्तरित की जायेगी।

योजना की परिधि में आने वाली समितियाँ-

(क) यह योजना उन्हीं समितियों पर लागू होगी जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करती हो-

(1) समिति द्वारा नियमित रूप से व्यवसाय विकास योजना बनायी जा रही हो।

(2) समिति लाभप्रद व्यवसाय कर रही हो।

(3) समिति में विगत सहकारी वर्ष के समाप्ति की तिथि को 6 माह की अधिक की अवधि से कम से कम 25000-00 रु0 (पच्चीस हजार रुपये) के निक्षेप जमा हो।

(4) समिति में बैंकिंग सुविधा तथा काउन्टर सेफ आदि उपलब्ध हो।

(5) जमा निक्षेपों का विधिवत पृथक लेखा रखा जा रहा हो तथा समिति में पूर्णकालिक सचिव अथवा अन्य लिपिकीय वर्ग कर्मचारी हो।

(6) समिति का विगत वर्ष तक का ऑडिट हो गया हो तथा उसका वर्गीकरण कम से कम 'ग' श्रेणी हो।

(ख) समिति द्वारा योजना की सदस्यता हेतु अपने जनपद की जिला सहकारी बैंक को जिला सहायक निबन्धक की संस्तुति के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा जिस पर निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा। सदस्यता स्वीकार होने पर ही योजना का लाभ समिति को प्राप्त हो सकेगा।

(ग) कैश इन हैंड सीमा से अधिक समस्त धनराशि समिति द्वारा जिला सहकारी बैंक में जमा करनी होगी।

(घ) समिति द्वारा 25 प्रतिशत तरल आवरण रखा जायेगा तथा तरल आवरण की धनराशि भी जिला सहकारी बैंक में लाभकारी विनियोजन में रखी जायेगी।

(ङ) समिति में कार्यरत कर्मचारियों की फिडेलिटी गारन्टी तथा कैश आदि का बीमा एवं आग, चोरी एवं अन्य कारणों से हुई क्षतिपूर्ति के लिए बीमा, बीमा नियमों से कराना होगा।

(च) समिति द्वारा निबन्धक/बैंक द्वारा निर्धारित लेखा पद्धति के अनुसार जमा निक्षेपों का लेखा रखा जायेगा।

10- गारन्टी की धनराशि-

(1) समिति स्तर पर एकत्रित किये गये सभी निक्षेपों की गारन्टी एक खातों में ब्याज सहित 8000-00 (आठ हजार रु0 मात्र) तक की होगी जिसकी कुल धनराशि बैंक की निजी पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तदनुसार जिला सहकारी बैंक द्वारा अपनी उपविधियों में आवश्यक संशोधित कराया जायेगा।

(2) समिति में निक्षेपकर्ता के एक खाते में अधिकतम गारन्टी की धनराशि ब्याज सहित रु 8000-00 आठ हजार रु0 मात्र) तक होगी परन्तु 10 वर्ष से अधिक अवधि की जमा पर निक्षेप गारन्टी योजना लागू नहीं होगी।

11- बैंकों का दायित्व:-

(1) बैंक द्वारा समिति के मिनी बैंक में जमा तरल आवरण की राशि को अधिकतम ब्याज दर की सामधि खातों में जमा किया जायेगा तथा निक्षेप से प्राप्त अन्य राशि (कैश रिजर्व को घटाकर) को विशेष निक्षेप खातों में जमा किया जायेगा। जिस पर बैंक द्वारा अधिकतम सावधि खातों में अनुमन्य ब्याज दर से 1/2 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जायेगा।

अग्रेतर बैंक को यह अधिकार होगा कि समिति द्वारा फण्ड में किये गये अंशदान से अधिक धनराशि की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित वसूली समिति से करें ले।

(2) योजना में चयनित समितियों को सावधि जमा रसीद, सैंविंग बैंक पास बुक तथा अन्य समस्त स्टेशनरी नकद भुगतान पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) प्रत्येक सामाधि जमा रसीद/सेविंग बैंक पास बुक पर जिला सहकारी बैंक द्वारा "गारन्टी" स्पष्ट रूप से अंकित होगा।

गारन्टी का इन्वोक किया जाना:-

(1) गारन्टी इन्वोक की दशा में निक्षेपकर्ता को उसके खाते में पड़ी धनराशि का 1/10 अथवा ₹ 500-00 (पाँच सौ) जो भी कम होगा, समिति द्वारा तत्काल भुगतान किया जायेगा लेकिन इससे ऊपर की धनराशि के भुगतान हेतु निक्षेपकर्ता द्वारा 15 दिन की नोटिस समिति को दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) निक्षेपकर्ता द्वारा गारन्टी इन्वोक किये जाने पर संबन्धित समिति के सचिव द्वारा सम्पूर्ण विवरण सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव बैंक को भेजा जायेगा।

(3) बैंक स्तर पर इस प्रकार इन्वोक की गयी गारन्टी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का निरीक्षण कर क्लेम्स का निस्तारण निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगा-

1- सभपति बैंक।

2- क्षेत्रीय प्रबन्ध/प्रतिनिधि शीर्ष सहकारी बैंक।

अध्यक्ष

3- जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों।

सदस्य

4- उन दो सहकारी समितियों के अध्यक्ष जिनके द्वारा विगत 31 मार्च को सर्वाधिक अंशदान किया गया हो।

सदस्य

5- सचिव/महाप्रबन्धक।

सदस्य/संयोजक

(4) निक्षेपकर्ता को क्षति की स्थिति में कमेटी की स्वीकृति उपरोक्त बैंक द्वारा फण्ड से एक खाते में ब्याज सहित 8000-00 (आठ हजार रुपये तक मात्र) की ही क्षतिपूर्ति की जायेगी। यदि फण्ड में आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है तो बैंक द्वारा फण्ड को ओवर ड्राफ्ट कर भुगतान किया जायेगा। जो बैंक की निजी पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

योजना का अनुश्रवण:-

इस योजना के अनुश्रवण हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(क) चयनित समितियों द्वारा बैंक को समिति में जमा निक्षेप से सम्बन्धित विवरण निबन्धक द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं समय सारिणी के अनुसार प्रेषित किया जायेगा।

(ख) समिति से प्राप्त सूचनाओं का संकलन बैंक की सम्बन्धित शाखा एक पृथक रजिस्टर में रखा जायेगा एवं बैंक मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा तथा तरल आवरण आदि की साप्ताहिक जाँच कर पूर्ति कराई जायेगी बैंक द्वारा संकलित विवरण निर्धारित प्रारूप पर शीर्ष सहकारी बैंक को प्रेषित किया जायेगा।

(ग) चयनित समिति का ऑडिट नियमित रूप से अगले सहकारी वर्ष के अन्त तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(घ) विभाग/बैंक द्वारा नियमित रूप से समिति निरीक्षण कराया जायेगा।

(च) उक्त नियमावली अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली में यदि संशोधन/परिवर्द्धन/नये नियम को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होगी तो प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के अनुमोदन से निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से

(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव, सहकारिता

संख्या 6438-43

/व0ग्रा0वि0

/सहकारिता

/2003-04

तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।

2-समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 द्वारा सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।

4- निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल देहरादून।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक/अपर सचिव सहकारिता

- 1-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0
उत्तरांचल।
- 2-समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना/स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-128/दिनांक 24.11.2001 सं0 164 दिनांक 06.12.2001 सं0 189 दिनांक 17.10.2002 सं0 640 दिनांक 20.11.2002 व पत्र संख्या सी-15 दिनांक 31 मई 2003 का संदर्भ ले। उक्त योजना के अन्तर्गत समूहों को जिला सहकारी बैंको को शाखाओं एवं समिति (पैक्स/लैम्पस/एफ0एस0एस0) जिनमें सामान्यतः मिनी बैंक हो, से सम्बद्ध कर वित्तपोषण करने के सम्बन्ध में संशोधित कर निम्न दिशा निर्देश किये जाने हैं।

1- बैंक शाखा एवं समिति (पैक्स/लैम्पस/एफ0एस0एस0) का चयन-

उत्तरांचल के समस्त जिला सहकारी बैंको की समस्त शाखायें इस योजना में वित्तपोषण करने के लिए अधिकृत होगी। उत्तरांचल में स्थित ऐसी समिति (पैक्स/लैम्पस/एफ0एस0एस0) जो मिनी बैंक का कार्य करती हो अथवा उसका कार्य व्यवसाय अच्छा हो, उक्त योजनाओं में वित्तपोषण करने के लिए अधिकृत होगी समितियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें जिला सहायक निबन्धक व जिला सहकारी बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक सदस्य होंगे द्वारा किया जायेगा।

2- अंशधन-

जिस स्वयं सहायता समूह का सम्बद्धीकरण समिति से किया जायेगा उसमें समूह को समिति का सदस्य बनाया जायेगा और वित्त पोषण की स्थिति में समूह से 120 के अनुपात में अंशपूँजी समूह से अंशधन के रूप में जमा कराई जायेगी। समूह के समस्त ऋणी सदस्यों को समिति का सदस्य बनाया जायेगा। समूह के ऐसे सदस्य जो समिति के पूर्व के सदस्य हो का पूर्व का जमा अंशधन समूह के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि उक्त अंशधन के विपरीत सदस्य द्वारा कोई अन्य ऋण न लिया गया हो।

3- समूह का खाता-

बैंक की शाखा अथवा समिति जिससे भी समूह सम्बद्ध होना चाहता है, वहां समूह के नाम से एक खाता खोलना होगा जिसमें जमा राशि पर बचत खाते की दर से ब्याज देय होगा। समूह का खाता खोलते समय समूह का प्रस्ताव लिया जायेगा। नये समूह की स्थिति में प्रथम 6 माह तक समिति समूह की गतिविधियों जैसे बैठक, जमाराशि, आन्तरिक ऋण इत्यादि की समीक्षा करती रहेगी। 6 माह पश्चात प्रथम ग्रेडिंग होगी, प्रथम ग्रेडिंग में सफल होने पर डी0आ0डी0ए0 से न्यूनतम 5000.00 रु0 अधिकतम 10000.00 रु0 रिवाल्विंग फण्ड का चैक दिया जायेगा। यह अनुदान होगा। समिति रिवाल्विंग फण्ड के नाम से अलग से खाता खोलेगी। अनुदान प्राप्त होने के पश्चात समिति द्वारा रिवाल्विंग कैश क्रेडिट स्वीकृत की जायेगी। जो समूह पूर्व जिला सहकारी बैंको से सम्बद्ध है अब समिति के माध्यम से ऋण लेना चाहते हैं तो उनके खाते समिति में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। समिति द्वारा वित्त पोषण की स्थिति वही मानी जायेगी जो वह बैंक खाता स्थानान्तरण से पूर्व की स्थिति थी।

4- वित्तपोषण-

समूह की प्रथम 6 माह की ग्रेडिंग होने के पश्चात द्वितीय ग्रेडिंग होगी। जिसमें समूह के जमा धनराशि के गुणांक में अधिकतम 4 गुने तक ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी। ऋण सीमा के लिए समिति समूह से प्रस्ताव, इकरारनामा, प्रोनोट प्राप्त करेगी, द्वितीय ग्रेडिंग में सफल होने के पश्चात समूह को प्रोजेक्ट लोनिंग भी की जा सकेगी। प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप होगी।

5- ऋण की स्वीकृति-

समिति से इस योजना के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र समिति द्वारा समूह से प्राप्त किया जायेगा, इसके अन्तर्गत आवेदन पत्र डी0आ0डी0ए0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रेषित नामों को ही स्वीकार विचार हेतु प्राप्त किया जायेगा। सम्बद्ध शाखा आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बद्ध शाखा को प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बद्ध शाखा आवेदन पत्र की प्रारम्भिक जाँच कर अपनी संस्तुति समिति से आवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर बैंक मुख्यालय को प्रेषित करेगी तथा बैंक मुख्यालय इसको एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत/आपत्ति करेगी। इस प्रकार समूह के वित्तपोषण में अधिकतम एक माह का समय निर्धारित किया जाता है। एक समिति द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 7.50 लाख रु0 तक ही एक वित्तीय वर्ष में वित्तपोषण किया जायेगा। उक्त ऋण की

सन्तोषजनक मासिक वसूली होने के पश्चात ही समिति की अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करने का अधिकार परिपत्र संख्या सी-15 दिनांक 31.05.2003 में गठित जिला कमेटी को होगा।

6- समिति को वित्तपोषण का पुर्नवित्त-

इस योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा जो ऋण (अनुदान छोड़कर) वितरित किया जायेगा उसका 90 प्रतिशत पुर्नवित्त जिला सहकारी बैंक द्वारा नाबार्ड से प्राप्त किया जायेगा।

7- ऋण की वसूली-

इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली का दायित्व समिति सचिव के साथ-साथ समूह के पदाधिकारियों एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी होगा।

8- बीमा-

उक्त ऋण का बीमा राज्य सरकार/निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित उत्तरांचल राज्य सरकारी विपणन संघ के माध्यम से कराया जायेगा।

9- ब्याज दर-

उक्त योजनाओं में बैंक द्वारा समिति से 8 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा जो समितियाँ मिनी बैंक का कार्य कर रही है तथा जिसका निक्षेप बैंक के विशेष निक्षेप खाते में जमा राशि तक यदि समिति बैंक से ऋण लेती है तो उस पर बैंक विशेष निक्षेप खाते पर देय ब्याज दर में 1.50 प्रतिशत अधिक सम्मिलित कर ब्याज चार्ज करेगा। ताकि मिनी बैंक निक्षेप संचय का लाभ समिति को मिल सकें। समिति समूह से 11 प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज करेगी। समूह द्वारा सदस्यों से नियमानुसार ब्याज प्राप्त किया जायेगा।

संशोधित परिपत्र सम्बन्धित समितियों को जिला सहायक निबन्धक/सचिव, जिला सहकारी बैंक के द्वारा तत्काल अपने स्तर से प्रेषित किया जायेगा। जिससे कि समय से ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकें।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

पत्रांक सी-42/दिनांक उक्त।

पत्रांक सी-42

/दिनांक

उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
- 2-समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 उत्तरांचल।
- 3-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 4-विशेष कार्याधिकारी ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 5-प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
- 6-निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(जी0सी0मैकोटा)

अपर निबन्धक,

सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।

कार्यालय पत्रांक 236 समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० उत्तरांचल।	निबन्धक /व्यवसायिक ऋण	सहकारी /2003-04	समितियाँ दिनांक	उत्तरांचल। दिसम्बर 2003।
---	--------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

विषय:- परिपत्र सं० सी-127/अधि०/ऋण विविधीकरण/94-95 दिनांक 13 मार्च 1995 एवं परिपत्र सं० सी-135/अधि०/ऋण विविधीकरण/94-95 दिनांक 27.03.1995 में आंशिक संशोधन।

निबन्धक सहकारी समितियाँ उ० प्र० लखनऊ के उक्त परिपत्रों में उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाते हैं-

1- ऋण सीमा स्वीकृति का उद्देश्य एवं पात्रता-

योजनान्तर्गत व्यवसायी/दुकानदार (ट्रेडर)/प्रोपराइटर एवं पार्टनरशिप फर्म/निबन्धित ठेकेदार/नर्सिंग होम/कम्प्यूटर व्यवसायी (प्रशिक्षण एवं हार्डवेयर)/अन्य कोई प्रतिष्ठित व्यवसाय इत्यादि।

2- ऋण सीमा की धनराशि-

ऋण सीमा को अधिकतम धनराशि दस लाख रुपये होगी, लेकिन किसी फर्म या व्यवसायी के ऋण का सन्तोषजनक परिचालन होने पर वृद्धि कर बीस लाख रुपये तक की जा सकेगी।

3-मार्जिन-

मार्जिन 25 प्रतिशत होगा। ठेकेदारों की लिमिट के आवंटन के लिए कार्य आवंटन राशि ऋण सीमा के निर्धारण का आधार होगा। तथा ठेकेदार को 25 प्रतिशत तक की धनराशि अपने संसाधनों से लगानी होगी। ऋण सीमा की अवधि एक वर्ष होगी।

4-प्रतिभूति-

बन्धक/दृष्टिबन्धक ऋण सीमायें स्वीकृति हेतु ऋण से क़य किये गये माल को बन्धक/दृष्टि बन्धक रखे जाने के साथ-साथ ऋण सीमा की धनराशि के बराबर कोलेटरल सिक्योरिटी यथा भूमि, भवन सावधि निक्षेप, अन्य कोई जमा निधि, बॉण्ड, बीमा पॉलिसी (जमा प्रीमियम राशि तक) सम्बन्धित विभाग से लिये मार्क कराकर की जायेगी।

5-ब्याज दर-

उक्त ऋण पर ब्याज दर 12 प्रतिशत होगी।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि०।

3-सदस्य सचिव, सन्वर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक लि० सेवा उत्तरांचल।

अपर निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

1-समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

2-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।

विषय:-स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस0सी0सी0) योजना-तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु।

महोदय,

किसी उद्यम की सफलता के लिए वित्तीय संसाधनों की समय से एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। लगभग सभी मामलों में उद्यमी वित्तीय सहायता के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं तथा बैंको सहित संस्थागत वित्त क्षेत्र उन्हें आवश्यक संसाधन ऋण प्रदान करते हैं देश में बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया से वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सभिनव ऋण सहयोगों की आवश्यकता की महत्ता उजागर हुई है। ऐसे किसी भी अभिनव सहयोग में उधारकर्ताओं के लिए परिचालनगत लचीलेपन के साथ पर्याप्त मात्रा में समय पर ऋण और बीमा सुरक्षा शामिल होनी चाहिए।

विभिन्न कारणों से छोटे उधारकर्ताओं, विशेष रूप से कम साधनों वाले व्यक्तियों को संस्थागत प्रणाली से ऋण वितरण संतोषजनक नहीं रहा है जिसकी पुष्टि विभिन्न अध्ययनों द्वारा भी हुई है। गरीबों को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एस0एच0जी0 बैंक लिकेज कार्यक्रम के रूप में विभिन्न ऋण वितरण सहयोग किसानों की उत्पादन ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ की है। तथापि छोटे कुटीर और ग्रामोद्योग क्षेत्र और स्वरोजगार व्यक्तियों को किसी भी क्रेडिट योजना में शामिल नहीं किया गया है। अधिकतर काश्तकार हथकरघा बुनकर हस्तशिल्पकार, मछुआरों, स्वरोजगार व्यक्तियों आदि जिनकी ऋण जरूरतें ₹0 25000-00 तक की है, उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त करवाने के लिए प्राथमिकता दी जानी है। छोटे उधारकर्ताओं को ऋण आवश्यकताएँ निवेश, उत्पादन और उपभोग प्रयोजनों से सबन्धित हैं। यदि उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताएँ उचित लचीलेपन के साथ एक ही स्रोत से पूरी हो जाती है तो उनका उद्यम सफल हो सकता है। इस दृष्टिकोण से इन समूहों के छोटे उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना के रूप में एक अभिनव ऋण वितरण प्रणाली लागू करना अत्यन्त आवश्यक है। उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए एक नई क्रेडिट कार्ड योजना आरिस्त स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2003 को उनके स्वतंत्रता दिवस उद्बोधन में की गयी।

काश्तकारों और अन्य छोटे उद्यमियों के लिए एक उपर्युक्त क्रेडिट कार्ड व्यवसाय आरम्भ करने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में एक विशेष बैठक आयोजन की गयी जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने भाग लिया। ग्रामीण काश्तकारों और अन्य छोटे उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए एक विशेष क्रेडिट कार्ड योजना अर्थात् स्वरोजगारी क्रेडिट कार्ड योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कई स्तरों के छोटे उधारकर्ताओं की, विशेषकर गैर कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में, निवेश एवं कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

1-स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना (एस0सी0सी0) का लागू किया जाना-

उत्तरांचल राज्य की जनता के हितार्थ उक्त योजना उत्तरांचल राज्य निर्माण की तीसरी वर्षगाँठ में 9 नवम्बर 2003 से उत्तरांचल राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंको शीर्ष सहकारी बैंक एवं पैक्स में लागू की जाती है। इस वर्ष 2003-04 में मात्र जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जायेगा तत्पश्चात वर्ष 2004-05 में पैक्स एवं शीर्ष बैंक द्वारा भी ऋण वितरण किया जायेगा।

2-इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से आने वाले सेवा क्षेत्र लघु उद्यमी, ग्रामोद्योग क्षेत्र इत्यादि की सूची संलग्नक I & II में दी गई है। लघु परियोजना होने पर एक या एक से अधिक योजनाओं के लिए 25000-00 ₹0 की अधिकतम सीमा तक ऋण दिया जा सकता है।

3-उक्त ऋण पर मार्जिन मनी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4-योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता कम्पोज ऋण कार्यशील पूँजी नकद ऋण सभी सम्मिलित होगी जिसकी अधिकतम राशि 25000-00 ₹0 तक होगी। ऋण अवधि/स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड 6 वर्ष तक वैध होगा लेकिन खाते का संचालन संतोषजनक रहें, इसलिए इसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष होगा।

5-बैंक शाखा से ऋण दिये जाने की स्थिति में ऋणी को नाममात्रिक सदस्य बनाया जायेगा। पैक्स से वित्तपोषण की स्थिति में ऋणी को पैक्स का सदस्य बनाया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह व ऋणी दोनों को सदस्य बनाया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह व ऋणी दोनों को

सदस्य बनाया जायेगा। परिपत्र सं० सी-15/स्वाश्रीयता दिनांक 31.03.2003 में पैक्स हेतु विविधीकरण योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण भी इस योजना के अन्तर्गत आ सकते हैं।

6-ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऋण लेकर कृष/स्थापित/सृजित की जाने वाली सम्पत्ति का प्रतिभूति माना जायेगा तथा 2 व्यक्तियों की गारन्टी ली जायेगी।

7-उक्त ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर समतुल्य कृषि ऋणों पर लागू ब्याज दर से अधिक नहीं होगी जो वर्तमान में 11 प्रतिशत है।

8- ऋण की स्वीकृति:-

उक्त योजना बैंक प्रबन्धक के संज्ञान में लाते हुए तत्काल लागू की जायेगी। ऋण की स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एवं सहायक आंकिक/ सहायक को संयुक्त रूप से होगा। पैक्स से ऋण की स्वीकृति का अधिकारी भी सम्बन्धित पैक्स सचिव की संस्तुति पर सम्बद्ध शाखा का होगा।

9-ऋण की वसूली का दायित्व पैक्स सचिव एवं शाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारी का होगा।

10-बीमा-

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का समूह बीमा योजना के तहत किया जायेगा। इसका प्रीमियम उधारकर्ता द्वारा अदा किया जायेगा। बीमा सहकारिता विभाग उत्तरांचल द्वारा अनुमोदित कम्पनी से दिया जायेगा।

11-प्रगति की समीक्षा-

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में प्रगति की कड़ी निगरानी और नियमित अंतराल पर निम्नानुसार समीक्षा की जायेगी-

ब्लाक स्तर पर-	बी.एल.बी.सी. बैठकों में तथा/सहकारिता में विकासखण्ड स्तरीय कमेटी।
जिला स्तर पर-	डी.सी.सी.बी.डी.एल.आर.सी. बैठकों में /बैंक सचिव एवं/जिला सहायक निबन्धक।
राज्य स्तर पर-	निबन्धक सहकारी समिति/एस0एल0बी0सी0 बैठकों में एवं/प्रबन्ध निदेशक शीर्ष सहकारी बैंक।

कृपया निर्धारित लक्ष्यों में अनुरूप इस योजना ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-

- 1-कार्ड व पास बुक का फार्मेट।
- 2-नाबार्ड व भारत सरकार के दिशा निर्देश।
- 3-सम्भावित उद्यमों सेवा क्षेत्र लघु व्यवसाय की सूची।
- 4-वर्ष 2003-04 के निर्धारित लक्ष्य।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० को० बैंक लि० देहरादून/हल्द्वानी।
- 2-उपनिबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि०।
- 4-अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।
- 5-महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

1-समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

2-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरांचल।

विषय:-महिला बचत समूहों को वित्त पोषण।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-156/दिनांक 19.07.2003 सी-174/दिनांक 14.08.2003 एवं संख्या 233/दिनांक 31.12.2003 के द्वारा महिला बचत समूहों के गठन एवं वित्त पोषण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे पूर्व में निर्गत परिपत्रों में महिला बचत समूहों को वित्त पोषण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अतः उक्त परिपत्रों में वित्त पोषण हेतु दिये गये निर्देशों को अतिक्रमिit करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

महिला बचत समूहों को वित्त पोषण-

- 1-महिला बचत समूहों में एक समूह में एक परिवार की एक ही महिला सदस्य होगी।
- 2-समूह में अधिकतम 5 सदस्य होंगे।
- 3-समूह को वित्त पोषण प्रथम चरण में उन समितियों के माध्यम से प्रारम्भ किया जायेगा जिनमें मिनी बैंक कार्यरत है।
- 4-समूह को बचत की धनराशि मिनी बैंक में समूह के बचत खाते में जमा की जायेगी जिस पर सावधि खाते की देय अधिकतम ब्याज दर से ब्याज देय होगा।
- 5-ऋण प्राप्त करने हेतु 01.04.2005 को समूह के खाते कुल जमा धनराशि की 3 गुना धनराशि के बराबर समिति को ऋण सीमा बनाई जायेगी। जो समूहों को वितरित किये जाने वाले ऋण हेतु उपयोग में हो लाई जायेगी। किसी अन्य प्रयोजन हेतु उक्त ऋण सीमा से ऋण आहरित नहीं किया जायेगा। उक्त ऋण सीमा 31 मार्च, 2006 तक लागू होगी। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए ऋण सीमा का नीवनीकरण किया जायेगा।
- 6-समिति स्तर पर समूह के खाते में 01.04.2005 को जमा धनराशि की 3 गुना धनराशि तक की ऋण सीमा समिति स्तर पर तैयार की जायेगी। बचत समूहों को वितरित ऋण समिति स्तर पर समूह के ऋण खाते से किया जायेगा एवं उक्त वितरित ऋण की वसूली की धनराशि समिति के स्तर पर संचालित उक्त खाते में जमा की जायेगी। समूह से वसूल की गई धनराशि समिति द्वारा बैंक में समिति की समूह हेतु स्वीकृत की गई ऋण सीमा में जमा की जायेगी। किसी भी दशा में मिनी बैंक में महिला समूह के खाते में जमा धनराशि अथवा मिनी बैंक की जमा धनराशि से सीधे समूहों को ऋण नहीं दिया जायेगा।
- 7-जिन समूहों के द्वारा समिति से ऋण नहीं लिया जायेगा उन समूहों की बचत धनराशि भी उक्त प्रकार मिनी बैंक में जमा रहेगी। जिस पर सावधि जमा खाते के अनुसार ब्याज देय होगा। किन्तु समूह के सदस्यों की मांग पर समूह के अध्यक्ष को मिनी बैंक से धन आहरण की सुविधा अनुमत्य रहेगी। किन्तु यदि समूह के द्वारा ऋण प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया जाता है तो मिनी बैंक में समूह के बचत खाते से कोई भी धनराशि तब तक पुनः आहरित नहीं की जायेगी जब तक समूह के द्वारा यह लिखित रूप से समिति को यह सूचित नहीं किया जाता कि वह अब समिति से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहती है एवं उसके द्वारा समिति से लिये गये ऋण का समस्त भुगतान कर दिया गया है।
- 8-समिति के अध्यक्ष के द्वारा समिति को ऋण सीमा स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जायेगा एवं समिति व समूह के मध्य समस्त ऋण प्राप्त करने से सम्बन्धित औपचारिकताओं/अनुबन्ध पूर्ण कराये जायेंगे।
- 9- समिति के स्तर से जिला सहकारी बैंक को समूहों के कुल जमा धनराशि के 3 गुना राशि तक को पृथक से ऋण सीमा हेतु आवेदन किया जायेगा।
- 10- समिति एवं बैंक के स्तर से महिला समूह ऋण योजना के अन्तर्गत समूह के सदस्यों अथवा समूह से कोई भी मार्जिन मनी नहीं ली जायेगी क्योंकि उक्त के स्थान पर समूहों द्वारा मिनी बैंक में जमा धनराशि को ही मार्जिन मनी के समतुल्य माना जायेगी।
- 11-यदि समूह के सदस्यों के द्वारा अपने बचत खातों में नियमिति रूप से नियमिति रूप से अंशधन नहीं किया जा रहा है तो उस समूह को वित्तपोषण की सुविधा नहीं दी जायेगी।
- 12- प्रथम चरण में उन्हीं समूहों को वित्त पोषण प्रारम्भ किया जायेगा जिनके सदस्यों के द्वारा विगत 6 माह से नियमित अंशदान दिया जा रहा है।
- 13- यदि किसी समूह के सदस्य द्वारा विगत छः माह के नियमित अंशदान में किसी सप्ताह/पक्ष का अंशधन नहीं किया है तो उन सदस्यों के द्वारा एक मुश्त सम्पूर्ण अंशधन को जमा कर दिये जाने पर वह समूह वित्त पोषण की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
- 14- इस योजना में विभाग द्वारा गठित किये गये महिला बचत समूहों को ही सम्मिलित किया जायेगा। एस.जी.एस.वाई. व अन्य स्वयं सहायता समूह जो किसी अन्य योजनाओं से गठित किये गये हैं उन्हें इस योजना से लाभान्वित नहीं किया जायेगा।

ऋण वितरण की प्रक्रिया—

1— सम्बन्धित समिति के द्वारा जिला सहकारी बैंक की शाखा का अल्पकालीन ऋण की भांति प्रार्थना-पत्र बैंक को प्रस्तुत करना होगा । जिसमें प्रत्येक समूह के सदस्यों की 01.04.2005 बचत की धनराशि अंकित होगी और उसके लिए उस पर अनुमन्य ऋण की धनराशि जो कि 3 गुना तक होगी, अंकित होगी । समिति स्तर पर समस्त समूह के सदस्यों के कुल जमा की राशि की 3 गुना धनराशि की ऋण सीमा की मांग जिला सहकारी बैंक से की जायेगी । बैंक शाखा स्तर पर समिति हेतु पृथक से उक्तानुसार ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी जिसे महिला बचत समूह ऋण सीमा का उल्लेख किया जायेगा ।

2—समिति स्तर पर प्रत्येक समूह की पृथक-पृथक से खाता रखा जायेगा जिस पर अल्पकालीन ऋण की भांति उस समूह को अनुमन्य ऋण सीमा का उल्लेख किया जायेगा ।

3—समूह स्तर पर ऋण प्राप्त करने हेतु समिति को लिखित प्रार्थना पत्र एवं धनराशि की मांग प्रस्तुत की जायेगी। समिति द्वारा समूह को एक चैकबुक भी उपलब्ध कराई जायेगी। जिस पर समूह के द्वारा निर्धारित अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षरों के उपरान्त ही समिति द्वारा समूह को ऋण दिया जायेगा। समूह द्वारा अधिकृत महिलाओं के हस्ताक्षरों की एक प्रति जिला सहकारी बैंक की शाखा में उपलब्ध रहेगी।

4—समूह से प्राप्त चैक का भुगतान समिति सचिव के द्वारा बैंक शाखा से प्राप्त किया जायेगा जिसका समायोजन बैंक स्तर पर समूह ऋण खाते से किया जायेगा। उक्त धनराशि प्राप्त करने के पश्चात ही समूह को समिति के स्तर से भुगतान किया जायेगा। सामान्यतः समूहों से ऋण हेतु प्राप्त चैकों को सप्ताह में एक दिन जिला सहकारी बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जायेगा। समूहों के चैकों को बैंक स्तर पर समायोजित करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो अंश 'ख' के चैकों के समायोजन हेतु प्रचलित है।

5—यदि समूह की ऋण की मांग 5,000.00 रु0 तक है तो समिति उसे मिनी बैंक के अवशेष धन से भुगतान कर सकती है और समिति के द्वारा उक्त चैक को जिला सहकारी बैंक की शाखा में जमा किया जायेगा एवं भुगतान समूह ऋण खाते से प्राप्त किया जायेगा और यदि समिति में समूह को पूर्व में ही अपनी अवशेष रोकड़ अथवा मिनी बैंक की धनराशि से उक्त भुगतान किया गया है तो वह उसकी प्रतिपूर्ति तत्काल समूह ऋण खाते से प्राप्त धनराशि से करेगा।

6—यदि कोई समूह सीधे जिला सहकारी बैंक की शाखा से चैक के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो वह समिति के द्वारा उपलब्ध कराये गये चैक के पृष्ठ भाग पर समिति सचिव का Endorsement's के पश्चात बैंक शाखा में चैक प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसकी सूचना जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

7—जिला सहकारी बैंक के द्वारा समिति को समूह ऋण खाते की पृथक से पासबुक निर्गत की जायेगी जिस पर साप्ताहिक इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगी।

8—समिति द्वारा समूह को भी ऋण खाते की पासबुक उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर इन्द्राज प्रत्येक दशा पर किया जाना अनिवार्य होगा।

ब्याज दर—

1—उक्त खाते को महिला बचत समूह ऋण खाता कहा जायेगा।

2—उक्त खाते में जिला सहकारी बैंक समिति को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगा।

3—समिति बचत समूह को 10 प्रतिशत वार्षिक बयाज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगी।

4—समूह अपने सदस्यों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करायेगा।

वसूली—

1—समूह को दिये गये ऋण की किस्तों को निर्धारण समूह के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। किन्तु किसी भी दशा में उक्त ऋण 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।

2—सामान्यतः ऋण की साप्ताहिक किस्त लगाई जायेगी।

समूह सदस्यों की ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता—

समूह के सभी सदस्यों को प्रथम चरण में एक साथ ऋण नहीं दिया जायेगा अपितु निम्न प्रक्रियानुसार ऋण वितरित किया जायेगा—

1—उन्ही सदस्यों को ऋण दिया जायेगा जिनके द्वारा महिला बचत समूह खाते में नियमित अंशदान किया जा रहा है।

2—समूह के एक सदस्य को उसके समूह के बचत खाते में किये गये प्रतिदान के तीन गुना राशि तक ही वित्त पोषण किया जायेगा।

3-समूह के प्रथम सदस्य के द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की 4 साप्ताहिक किश्तें अथवा उक्त किश्तों के समतुल्य धन की वसूली होने के पश्चात ही दूसरे सदस्य को ऋण दिया जायेगा।

4-प्रथम ऋणी सदस्य की 8 साप्ताहिक द्वितीय ऋणी सदस्य की 4 साप्ताहिक किश्तों अथवा उक्त किश्तों के समतुल्य धन की वसूली।हने के पश्चात ही तीसरे सदस्य को ऋण दिया जायेगा।

5-प्रथम ऋणी सदस्य की 12 साप्ताहिक द्वितीय ऋणी सदस्य की 8 साप्ताहिक एवं तृतीय ऋणी सदस्य की 4 साप्ताहिक किश्तों अथवा उक्त किश्तों के समतुल्य धन की वसूली होने के पश्चात ही चौथे सदस्य के ऋण दिया जायेगा।

6-प्रथम ऋणी सदस्य की 16 साप्ताहिक द्वितीय ऋणी सदस्य की 12 साप्ताहिक, तृतीय ऋणी सदस्य की 8 साप्ताहिक एवं चतुर्थ ऋणी सदस्य की 4 साप्ताहिक किश्तों अथवा उक्त किश्तों के समतुल्य धन की वसूली होने के पश्चात ही पाँचवें सदस्य को ऋण दिया जायेगा।

7-किसी भी एक सदस्य की किश्त अथवा किश्तें वसूल न होने की दशा में अगले सदस्य को तब तक ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जब तक पूर्व बकायेदारों के द्वारा अपनी समस्त तात्तरीख किश्तें जमा न कर दी गई हों।

8-यदि समूह की तीन माह तक किश्तें नियमित जमा नहीं होती है तो उस दशा में समूह को बकायादार मान लिया जायेगा। एवं उसके मिनी बैंक में जमा धनराशि से समूह के सम्पूर्ण ऋण की एक मुश्त ब्याज सहित वसूली कर ली जायेगी। और यदि बचत में कोई धनराशि अवशेष है तो उसे समूह को वापस कर दिया जायेगा।

9-उक्त प्रकार घोषित बकायादार समूह के सम्बन्ध में समिति के नोटिस बोर्ड पर भी विज्ञापित की जायेगी और उक्त समूह को भविष्य में किसी समिति के किसी भी क्रिया-कलापों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। एवं समूह को महिला बचत समूह योजना से पृथक कर दिया जायेगा।

10-समूह के सदस्यों से वसूली का दायित्व समूह के अध्यक्ष का होगा।

11-समूह से वसूली का दायित्व समिति सचिव का होगा।

12-यदि समूह के किसी सदस्य के द्वारा नियमित रूप से 6 माह तक अपनी किश्तें जमा की गई हो और अन्य ऋणीयों के द्वारा भी अपनी नियमित किश्तों का भुगतान किया जा रहा है तो उस सदस्य को जिसने 6 महीने तक नियमित भुगतान कर दिया है उसे समूह के ऋण खाते में अपने ऋण की समस्त अवशेष किश्तों को ब्याज सहित भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। और यदि इस प्रकार समूह के ऋण सीमा में धन उपलब्ध हो तो उसे उसके बचत राशि के तीन गुने अथवा ऋण सीमा में उपलब्ध धनराशि तक पुनः ऋण दिया जा सकता है। किन्तु यह सुविधा मात्र एक समूह सदस्य को ही एक वित्तीय वर्ष में अनुमान्य होगी।

अनुश्रवण-

1-समूह को वितरित ऋण एवं वसूली की नियमित समीक्षा विकास खण्ड एवं शाखा स्तर पर पाक्षिक रूप से सहायक विकास अधिकारी (सह0) एवं शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक द्वारा की जायेगी।

2-जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा मासिक समीक्षा की जायेगी।

3-जिला स्तर से संलग्न प्रारूप पर समूह को वितरित ऋण एवं वसूली की सूचना प्रत्येक माह मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

ऋण राशि का बीमा :-

1- समूह की सहमति से समिति ऋण राशि से अर्जित सम्पत्ति का बीमा जो 10000 रु0 से अधिक उत्पादकता कार्य हेतु दिये गये ऋण का भुगतान कराया जायेगा। बीमा प्रीमियम राशि समूह अथवा ऋणी सदस्य द्वारा वहन की जायेगी।

2-सामान्यतः समूह के सदस्यों से अदेय/बकाया रहित प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि समूह की बचत की अनुरूप ही ऋण की राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

3-जिला स्तर से संलग्न प्रारूप पर समूह को वितरित ऋण एवं वसूली की सूचना प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

ऋण राशि का बीमा-

1-समूह की सहमति से समिति ऋण राशि से अर्जित सम्पत्ति का बीमा जो 10 हजार रु0 से अधिक उत्पादकता कार्य हेतु दिये गये ऋण का कराया जायेगा। बीमा प्रीमियम राशि समूह अथवा ऋणी सदस्य द्वारा वहन की जायेगी।

2-सामान्यतः समूह के सदस्यों से अदेय/बकाया रहित प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि समूह की बचत के अनुरूप ही ऋणी की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

अभिलेखों का रख-रखाव-

1-समूह के स्तर पर अभिलेखों का रख-रखाव समूह के अध्यक्ष के द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसकी एक प्रति समूह द्वारा समिति सचिव को उपलब्ध कराई जायेगी।

2- समिति स्तर पर समूह से सम्बन्धित ऋण सीमा एवं खाते को पृथक से संचालित किया जायेगा जिसका दायित्व समिति सचिव का होगा।

3-शाखा स्तर पर समिति को जो समूहों के लिए ऋण सीमा बनाई जायेगी उसका रख-रखाव शाखा स्तर पर पृथक खाते में किया जायेगा।

4-जिला सहकारी बैंक मुख्यालय में महिला बचत समूहों को दी गई ऋण सीमा वसूली एवं उनके द्वारा जमा किये गये धन के सम्बन्ध में एक पृथक से अधिकारी नामित किया जायेगा। जो समस्त योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगा एवं इस स्तर से वांछित सूचनाओं को अविलम्ब उपलब्ध करायेगा। उक्त दायित्व उसी अधिकारी को दिया जाये जो सी-15 मिनी बैंक एवं महिला समूहों की प्रगति एवं समीक्षा हेतु पूर्व से ही नामित किया गया हो।

ऑडिट-

1-बचत समूहों के लेखों का वार्षिक आन्तरिक ऑडिट किया जायेगा जो शाखा प्रबन्धक सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक की शाखा एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा एवं समूह को तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जायेगा क्योंकि एक शाखा में अधिक समूहों के सम्बन्ध होने की सम्भावना है अतः आन्तरिक ऑडिट हेतु समूह के स्तर से अभिलेख आन्तरिक ऑडिट हेतु जिला सहकारी बैंक की शाखा में उपलब्ध कराये जायेंगे।

निरीक्षण-

जिन महिला समूहों में वित्त पोषण प्रारम्भ किया जायेगा। उनके अभिलेखों में त्रुटियां एवं अन्य कमियों का निराकरण करने के लिए एवं योजना को गति प्रदान करने के लिए उन समूहों का नियमित निरीक्षण किया जाना आवश्यक है जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में न आयें जिसके लिए निम्न व्यवस्था के अनुसार निरीक्षण किये जायेगा।

1-सहायक विकास अधिकारी (सह0) के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्त महिला समूहों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण किया जायेगा।

2-शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त महिला समूहों का वर्ष में 1 बार निरीक्षण किया जायेगा। शाखा प्रबन्धक उक्त निरीक्षण करने हेतु समूहों के अभिलेखों को शाखा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु समूह को निर्देशित कर सकते हैं।

3-क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त समूहों का वर्ष 4 बार निरीक्षण किया जायेगा।

4-अपर जिला सहकारी अधिकारी उप महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक एवं जिला सहायक निबन्धक जब कभी भी क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे तो वह अवश्य महिला बचत समूहों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

सहकारी सहभागिता योजना से सम्बन्धीकरण-

1-जिन महिला समूहों के सदस्यों द्वारा कृषि अथवा अन्य कृषि कार्यक्रमों हेतु ऋण प्राप्त किया जायेगा वह समूह नियमानुसार परिचय संख्या सी-04/अधि0/दिनांक 11.05.2004 के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को 4 प्रतिशत ब्याज राहत के रूप में अनुदान पाने के पात्र होंगे। अनुदान मात्र उन्हीं सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके द्वारा कृषि अथवा अन्य कृषि ऋण प्राप्त किया गया है न कि समूह के एक सदस्य के द्वारा कृषि अथवा अन्य कृषि ऋण प्राप्त करने पर पूरे समूह को अनुदान से आच्छादित किया जायेगा। समिति सचिव उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रारूपों में उक्त की सूचना प्रेषित करेंगे जिसमें लाभार्थी के स्थान पर महिला बचत समूह का नाम अंकित होगा।

समूह के बचत खाते से आहरण-

1-यदि किसी महिला बचत समूह द्वारा योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त किया है तो उस समूह के बचत खाते से तब तक धनराशि आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि समूह के द्वारा ऋण का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दिया गया हो। किन्तु विशेष परिस्थिति में समूह के अनुरोध पर समूह की जमा धनराशि का ऋण खाते में हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया जा सकता है। किन्तु उक्त स्थिति में समूह को पुनर्वित्त की सुविधा पुनः अनुमन्य करने से पूर्व उसे नियमित रूप से 6 माह तक बचत खाते में नियमित रूप से अंशदान जमा कराना होगा।

लाभ वितरण-

1-समूह द्वारा उक्त प्रकार से जो भी लाभ अर्जित किया जायेगा उसमें से समूह के व्ययों जैसे कि स्टेशनरी आदि को घटाकर वर्ष के अन्त में जो धनराशि अवशेष रहेगी वह समूह के प्रत्येक सदस्य के बचत खाते में उनके प्रतिदान के अनुपात में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि वह उनकी बचत की धनराशि है। किसी भी दशा में सदस्यों को नकद लाभ वितरित नहीं किया जायेगा।

जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक इस परिपत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक समिति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं योजना का विस्तृत प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करायेगें।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

पत्रांक- /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1-समस्त अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक उत्तरांचल।
2-प्राचार्य, सहकारी प्रबन्ध संस्थान, राजपुर रोड देहरादून।
3-प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी।
4-अपर निबन्धक/उप निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
5-महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून।
6-समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7-सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन देहरादून।
8-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।

सहकारिता विभाग

जनपद का नाम-.....

महिला बचत समूहों की प्रगति (माह.....2005)

कुल ग्रामों की संख्या	समूह गठन			निक्षेप		
	31.03.2005 को कुल समूह	01.04.2005 से गठन	कुल गठित समूह	31.03.2005 को कुल निक्षेप	01.04.2005 से प्राप्त	कुल प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7

ऋण वितरण					मांग एवं वसूली				
31.03.2005 तक कुल वितरित ऋण	01.04.2005 से वितरित ऋण		कुल वितरित ऋण		31.03.2005 को अवशेष वसूली	माह की मांग	कुल मांग	माह की वसूली	क्रमिक वसूली
	समूह संख्या	धनराशि	समूह संख्या	धनराशि					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

हस्ताक्षर
सचिव / महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि०।

हस्ताक्षर
जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

1- समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियों उत्तरांचल।

2- समस्त सचिव/महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि०,
उत्तरांचल।

विषय- लघु एवं सीमांत कृषकों तथा बी०पी०एल० परिवारों को सहकारी ऋणों पर ब्याज में राजकीय अनुदान सहकारी सहभागिता योजना का क्रियान्वयन।

उत्तरांचल में सहकारिता आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी०पी०एल० परिवारों द्वारा लिये जाने वाले सहकारी ऋणों पर ब्याज दरों में कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु "सहकारी सहभागिता योजना" प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृत शासनादेश संख्या 233/2005/XIV-1/2005 दिनांक 28.04.2005 के द्वारा प्रदान की गयी है। इस योजना के अर्न्तगत लघु एवं सीमांत कृषकों तथा बी०पी०एल० परिवारों द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन/मध्यकालीन दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं आवास निर्माण हेतु लिये गये ऋणों पर लागू ब्याज दरों का क्रमशः 4 प्रतिशत 5.5 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

"सहकारी सहभागिता योजना" की विशिष्टतायें एवं शर्तें निम्नवत् है-

(1) इस योजना के मुख्यतः कृषि, कृषि निवेश, औद्योगिकी, डेरी विकास पशुपालन, बेमौसमी सब्जी मशरूम, चाय, रेशम, मत्स्य पालन, मधुपालन, उत्पादन आदि जैसे कार्य हेतु विशेष अवसर प्राप्त होंगे।

(2) यह योजना सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी।

(3) उक्त योजना दिनांक 01 मई 2005 से प्रारम्भ होगी और चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 तक ही लागू होगी अर्थात् उक्त अवधि के दौरान जिन लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी०पी०एल० परिवार के सदस्यों द्वारा ऋण लिया जायेगा उन्ही को योजना का लाभ दिया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत केवल लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी०पी०एल० परिवार के कृषक आच्छादित होंगे तथा एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

(5) लघु एवं सीमांत कृषक तथा बी०पी०एल० परिवार का निर्धारित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित एजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(6) उक्त योजना का लाभ सहकारी बकायादार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि पात्र लाभार्थी/कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य ब्याज दर के अनुसार वसूली की जायेगी।

(8) आवास ऋण की अधिकतम सीमा योजनान्तर्गत 1.00 लाख (रु० एक लाख) रुपये होगी और लाभार्थी को मात्र एक बार ही भवन निर्माण/विस्तार हेतु अनुदान उपलब्ध होगी।

(9) सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक/शीर्ष सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा योजना के अनुरूप, वित्तीय आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अनुदान की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तरांचल को प्रस्तुत करने के उपरान्त निबन्धक सहकारी समितियों की संस्तुति के पश्चात शासन द्वारा राजकीय अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं—

1. लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सींचित भूमि उपलब्ध हों ।
सीमांत कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हों ।
2. बी0पी0एल0 परिवार का तात्पर्य उन कृषक सदस्यों से है जिन्हें विकास खण्ड द्वारा चयनित कर प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो ।
3. भारत सरकार द्वारा कृषि ऋणों को दुगुना किये जाने की योजना के तहत ऋण वितरण हेतु उक्त योजना लाभकारी होगी। अतः इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जाये व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जायें ।
4. दिनांक 01.05.2005 से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को वितरित कृषि ऋणों यथा अल्पकालीन फसलों ऋण, भेषज कृषिकरण हेतु वितरित ऋण, सी-15 योजना के अन्तर्गत सहायक कृषि कलापों हेतु वितरित मध्यकालीन ऋण एवं कृषि कार्यो हेतु वितरित दीर्घकालीन ऋण का विवरण सामान्य खातों के भांति पृथक से समिति स्तर पर तथा शाखा स्तर पर रखा जायें ।
5. उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की सूचना संलग्न प्रारूप-1 पर प्रतिमाह समिति द्वारा शाखा के माध्यम से बैंक मुख्यालय को तथा सहायता विकास अधिकारी (सह0) के माध्यम से सहायक निबन्धक सहकारी समितियों को आगामी माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराई जायेगी ।
6. जिला सहकारी बैंक मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक संकलित सूचना निबन्धक कार्यालय का उपलब्ध कराई जायेगी ।
7. सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन/मध्यकालीन कृषि ऋणों पर 50,000 रु0 तक 5 प्रतिशत तथा 50,000 रु0 से अधिक के ऋणों पर 5.50 प्रतिशत, दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5.50 प्रतिशत तथा कृषक आवास ऋण पर 5.00 प्रतिशत ब्याज 01.05.2005 व उसके पश्चात वितरित ऋणों पर लिया जायेगा। सामान्य ब्याज दर एवं उक्त ब्याज दरों के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति उत्तरांचल शासन द्वारा की जायेगी । योजना के तहत निर्धारित ब्याज दर एवं वित्तीय भार की स्थिति निम्न प्रकार है ।

(ब्याज दर प्रतिशत में)

क्र0 सं0	विवरण	01.04.2004 से प्रचालित ब्याज दर	01.05.2005 व इसके बाद वितरित ऋण पर ब्याज दर	राज्य सरकार से वित्तीय भार को वहनता प्रतिशत
1.	अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण 50.000/तक 50.000/से अधिक ऋण पर	9.00 11.00	5.00 5.50	4.00 5.50
2.	दीर्घकालीन ऋण	12.50	5.50	5.50
3.	कृषक आवास ऋण	8.00	5.00	3.00

अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण पर पूर्व में ही ब्याज दरों में कमी कर दी गई थी, जिस पर समिति एवं बैंक स्तर पर 1 से 2 प्रतिशत तक वित्तीय व्ययभार स्वयं वहन किया जा रहा था । दीर्घकालीन ऋण एवं कृषक आवास ऋण पर क्रमशः 1.50 प्रतिशत एवं 1.00 प्रतिशत वित्तीय व्ययभार बैंकों के स्तर से योजना प्रारम्भ होने की तिथि से वहन किया जायेगा ।

8. जिन बैंकों द्वारा शाखाओं के माध्यम से सीधे कृषि ऋण अथवा सहायक कृषि कलापों हेतु ऋण उक्तानुसार पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया है वे भी उक्त निर्धारित दर पर ही ब्याज आंकलित करेंगे व प्रतिपूर्ति हेतु वांछित सूचनायें बैंक मुख्यालय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। योजनान्तर्गत वितरित ऋण की प्रगति सूचना भी समयान्तर्गत प्रेषित करेंगे ।
9. बी0पी0एल0 परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने में उनके पास भूमि/सम्पत्ति बन्धक कराने हेतु उपलब्ध न होने की दशा में बैंक के स्तर से लाभार्थी के दो ऐसे जामीनान ले लिये जायें जिनके पास बन्धक रखते हेतु भी समयान्तर्गत प्रेषित करेंगे ।
10. बड़े प्रोजेक्ट के ऋणों में नियमानुसार सम्पत्ति बन्धक करने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित जिला सहाकारी बैंक का होगा ।

11. प्रत्येक प्रारम्भिक सहकारी समिति अपने क्षेत्र में कम 5 ऐसे मॉडल प्रोजेक्ट प्रारम्भ करेगी जो उस क्षेत्र की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त हो, और वह भविष्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन बन सके। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामान्यतः एक ही प्रकार के प्रोजेक्टर न लिये जायें अपितु दो-तीन प्रकार के प्रोजेक्ट्स को संचालित किया जा सकता है।
12. आवास ऋण एवं अन्य ऋण के लक्ष्य संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। उक्त लक्ष्यों का आशय यह कदापि नहीं है कि मात्र निर्धारित लक्ष्यों की ही पूर्ति की जानी है। लक्ष्यों में आवश्यकतानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है।
13. प्रारूप-1 में प्रत्येक माह विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋण की सूचना जनपद स्तर से मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
14. योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से कराने का दायित्व जनपद स्तर पर सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक के द्वारा किया जायेगा।
15. उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा त्रैमासिक रूप से की जायेगी। यह सुविधा उन्हीं कृषकों को दी जानी है जिनके द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी समयान्तर्गत कर दी गयी है। इस प्रकार समितियों/बैंक द्वारा सदस्यों के खातों में वर्तमान में प्रचलित सामान्य दर से ब्याज आंकलित कर प्राप्त अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न प्रारूप-2 पर समितियों द्वारा सदस्यवार वितरण तैयार कर शाखा प्रबन्धक एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) से सत्यापित कराकर बैंक मुख्यालय को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 5 तारीख तक प्रेषित किये जायेंगे।

प्रारूप-2 के कालम 5 व 6 में ब्याज का आंकलन उक्त प्रस्तर-7 दी गयी ब्याज दर के अनुसार किया जायेगा। बैंक मुख्यालय स्तर पर समितिवार सूचना संकलन कर संचालित सूचना प्रारूप-3 पर प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 10 तारीख तक जिला सहायक निबन्धक कार्यालय के द्वारा उक्त प्राप्त सूचनायें जनपदवार संकलित कर 15 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कि समयान्तर्गत ब्याज अनुदान से प्राप्त कर समिति/कृषकों के खातों में स्थानान्तरित की जा सकें।

:-अनुश्रवण:-

1-(विकास खण्ड स्तर पर)

विकास खण्ड स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह 5 से 10 तारीख के मध्य किया जायेगा, जिसमें समस्त सम्बन्धित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे तथा इसका संयोजक सहायक विकास अधिकारी (सह0) होगा उसकी सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

2-(जिला स्तर पर)

जनपद स्तर पर उक्त योजना की समीक्षा हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।	अध्यक्ष
2. सभापति/अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक।	उपाध्यक्ष
3. जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तरांचल	सदस्य सचिव
4. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0	संयोजक
5. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
6. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
8. जिला दुग्ध अधिकारी	सदस्य
9. जिला मत्स्य अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक	सदस्य
10. जिला रेशम अधिकारी/रेशम निरीक्षक	सदस्य
11. जिला विकास अधिकारी/आवास अधिकारी	सदस्य

3-(जिला स्तर पर)

राज्य स्तर पर योजना के समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा जिसमें आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों का भी सहायोग लिया जायेगा।

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह 10 से 15 तारीख के मध्य की जायेगी एवं योजना के सफल संचालन क्रियान्वयन एवं कठिनाईयों के बारे में समिति के द्वारा अपने सुझाव मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। उक्त बैठक संचालित कराने का दायित्व जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक का संयुक्त रूप से होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के तहत अधिकाधिक ऋण वितरण कृषकों को लाभान्वित करें तथा योजनान्तर्गत वितरित ऋण की सूचना वांछित प्रारूपों में निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार ।

(नवीन चन्द्र शर्मा)

निबन्धक

सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल

पत्रांक—सी—04 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— प्राचार्य, सहकारी प्रबन्ध राजपुर रोड़ देहरादून ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी ।
- 3— अपर निबन्धक / उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल ।
- 4— महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून ।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 6— सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन देहरादून ।

निबन्धक

सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल

प्रारूप-1

सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण की मासिक सूचना ।
जिला सहकारी बैंक लि०.....माह.....(रु० लाखों में)

क्र०सं०	ऋण का प्रकार	माह में वितरित		01.05.05 से क्रमिक वितरित	
		सदस्य संख्या	धनराशि	सदस्य संख्या	सदस्य
1	फसली ऋण योजना अल्पकालीन मध्यकालीन				
2	भेषज योजना अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन				
3	औद्योगिक ऋण योजना अल्पकालीन साक भाजी ऋण अल्पकालीन बागवानी ऋण अल्पकालीन मौन पालन ऋण अल्पकालीन पुष्प उत्पादन ऋण अल्पकालीन मशरूम ऋण अन्य औद्योगिक ऋण मध्यकालीन चाय उत्पादन ऋण मध्यकालीन पुष्प उत्पादन उत्पादन दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण				
4	दुग्ध विकास योजना मध्यकालीन दुधारु पशु ऋण				
5	रेशम उत्पादन योजना अल्पकालीन रेशम कीट पालन मध्यकालीन तागा उत्पादन ऋण दीर्घकालीन ऋण				
6	पशुपालन योजना अल्पकालीन रेशम कीट पालन मध्यकालीन भेड़ पालन ऋण मध्यकालीन कुक्कुट पालन दीर्घकालीन ऋण				
7	दीर्घकालीन कृषि ऋण				
8	आवास ऋण योजना				
9	अन्य समस्त कृषिगत ऋण				
	योग ऋण				

हस्ताक्षर

सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि०

नोट—राज्य सहकारी बैंक भी प्रारूप-1 एवं 2 के अनुसार सूचना निबन्धक को उपलब्ध करायेगे ।

हस्ताक्षर

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल ।

सहकारी सहभागिता योजना के लक्ष्य

क्र०सं०	नाम जनपद	कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण		आवास ऋण योजना		योजना के अन्तर्गत बनाये गये नये सदस्यों की संख्या
		लाभार्थी संख्या	धनराशि(लाख रु०में)	लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख रु०में)	
1	चमोली	1000	200.00	400	300.00	500
2	रूद्रप्रयाग	700	150.00	250	187.50	350
3	पौड़ी	1500	300.00	400	300.00	750
4	देहरादून	1500	300.00	400	300.00	750
5	टिहरी	1200	250.00	400	300.00	600
6	उत्तरकाशी	1000	200.00	300	225.00	500
7	हरिद्वार	2000	400.00	400	300.00	1000
8	अल्मोड़ा	1200	250.00	350	262.50	600
9	बागेश्वर	700	150.00	200	150.00	350
10	पिथौरागढ़	1200	250.00	350	262.50	600
11	चम्पावत	700	150.00	250	187.50	350
12	नैनीताल	1000	200.00	400	300.00	500
13	उधमसिंहनगर	2000	400.00	400	300.00	1000
योग		15700	3200.00	4500	3375.00	7850

प्रारूप-2

सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण पर आंकलित ब्याज की प्रतिपूर्ति बाबत सूचना नाम समिति.....

क्र० सं०	नाम सदस्य	खाता संख्या	01.05.05 से दिया गया कृषि ऋण	आंकलित ब्याज		ऋण वसूली 01.05.05से		ब्याज की प्रतिपूर्ति की मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना समिति अभिलेखों के अनुसार सही है व ब्याज का आंकलन नियमानुसार किया गया है ।

सचिव/प्रबन्धक निदेशक
समिति

उक्त विवरण की जाँच की गई एवं सत्यापित
ब्रांच मैनेजर स.वि.अधि.

नोट—राज्य सहकारी बैंक भी प्रारूप-1 एवं 2 के अनुसार सूचना निबन्धक को उपलब्ध करोगें ।

प्रारूप-3

सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण पर आंकलित ब्याज की प्रतिपूर्ति बाबत सूचना नू
जनपद.....

क्र०सं०	नाम समिति	सदस्यों की संख्या	01.05.05 से दिया गया कृषि ऋण	अनुदानित ब्याज की मांग
1	2	3	4	5

सचिव / महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि०

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

कार्यालय	निबन्धक	सहकारी	समितियों	उत्तरांचल।
पत्रांक-सी-47	/अधि0	/2003-05	दिनांक 3	दिसम्बर, 2003।

1- समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियों उत्तरांचल,

2- सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरांचल।

विषय-सहकारी कृषि ऋण समितियों में मिनी बैंक की स्थापना।

उक्त विषयक पूर्व निर्गत समस्त परिपत्रों को आशिक रूप से संशोधित करते हुए सहकारी कृषि ऋण समितियों में मिनी बैंक खोलने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

- जनपद में मिनी बैंक के सम्बन्ध बैंक के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या सी-15 दिनांक 31.05.2003 के अनुसार गठित कमेटी द्वारा समिति का चयन किया जायेगा। समिति की ऋण वसूली एवं ऋण व्यवसाय का कोई भी प्रभाव मिनी बैंक के चयन पर नहीं होगा।
- समिति का निजी भवन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में प्रस्तर-1 में उल्लिखित कमेटी उक्त में छूट दे सकती है।
- समिति में नियमिति/पूर्णकालिक कैडर सचिव कार्यरत होना आवश्यक है।
- नया मिनी बैंक सामान्यतः उस स्थान पर नहीं खोला जाय जहाँ पर जिला सहकारी बैंक को शाखा कार्यरत है।
- नये मिनी बैंक खोलते समय समिति में कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्मचारी को नियुक्ति न की जाय।
- मिनी बैंक में 3.00 लाख रु0 से अधिक जमा होने पर 500.00 रु0 मासिक मानदेय/संविदा पर जिला कमेटी की अनुमति के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। यदि जमा धनराशि निरन्तर 1 माह से अधिक तक 3.00 लाख रु0 से कम हो जाती है तो मानदेय पर नियुक्ति कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- प्रत्येक 1.00 लाख रु0 अमानत/जमा वृद्धि पर मानदेय पर नियुक्त कर्मचारी को 10.00 रु0 का मानदेय बढ़ाया जा सकता है, जो कि प्रत्येक 1.00 लाख रु0 अमानत/जमा में कमी होने पर वापस ले लिया जायेगा।
- मिनी बैंक में 25.00 लाख रु0 की अमानत/जमा हो जाने पर नियुक्ति कर्मचारी की नियुक्ति सी-15 दिनांक 31.05.2003 के अनुसार गठित राज्य स्तर कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त ही की जायेगी।
- सी-15 दिनांक 31.05.2003 द्वारा गठित कमेटी द्वारा नवसृजित मिनी, बैंकों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा एवं यह सन्तुष्टि किया जायेगा कि जिन स्थानों पर नव स्थापित मिनी बैंक सफलातापूर्वक संचालित नहीं हो रहे हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाय।
- नवसृजित मिनी बैंक की स्थापना हेतु साज-सज्जा आदि की व्यवस्था हेतु जिला योजना में प्राविधानित किया जायेगा एवं नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भी सहायता प्राप्त की जाय।
- सचिव, जिला सहकारी बैंक नवसृजित मिनी बैंक को प्रारम्भ करने से पूर्व समिति सचिव एवं अन्य कर्मचारियों यदि कोई हो की मिनी बैंक संचालन से सम्बन्धित पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- मिनी बैंक संचालित करने के लिए सम्बन्धित सजिला सहकारी बैंक आवश्यक स्टेशनरी समिति को उपलब्ध करायेंगे।
- मिनी बैंक प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक/काअन्तर, सेफ आलमारी आदि की व्यवस्था सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति/मिनी बैंक को 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- जमाकर्ताओं की जमाओं की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित जिले के जिला सहकारी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना के अर्न्तगत वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण कराने के उत्तरदायी होंगे।
- मिनी बैंक में जमा धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित जिले के जिला सहकारी बैंक में अधिकतम ब्याज दर पर मियादी जमा के रूप में 3 प्रतिशत अथवा 0.10 लाख रु0 जो भी कम हो तहबील (रोकड़ शेष) के रूप में किन्तु 25.00 लाख रु0 से अधिक की जमा वाले मिनी बैंकों में उक्त अधिकतम सीमा 0.25 लाख रु0 तक समिति की आवश्यकता के अनुसार हो सकती है, एवं अवशेष धनराशि सम्बन्धित जिले के बैंक विशेष निक्षेप खाते के अर्न्तगत जमा की जायेगी। विशेष निक्षेप खाते में ला सहकारी बैंक द्वारा समय-समय पर प्रचलित उच्चतम ब्याज दर देय होगी। विशेष निक्षेप खाते से आहरण समिति द्वारा नियमिति रूप से मात्र मिनी बैंक के खातेदारों के भुगतान हेतु किया जायेगा। समिति के द्वारा पूर्व की भांति विशेष निक्षेप खाते के विरुद्ध ऋण सीमा जिला सहकारी बैंक से प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- मिनी बैंक का बीमा (कैश इन सेफ, कैश इन ट्राजिट एवं फिडेलिटी गारन्टी आदि) नियमानुसार सम्बन्धित जिला सहकारी बैंको के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- समिति द्वारा मिनी बैंक में जमा धनराशि का उपयोग राज्य स्तर की कमेटी के अनुमोदन के बिना किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
- जमाकर्ताओं को मिनी बैंक में अधिकतम बचत खातों में जमा हेतु प्रोत्साहन किया जाय।

19. मिनी बैंक के जमाकर्ताओं हेतु चैकबुक की व्यवस्था सम्बन्धित जिला सहकारी बैंको द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । जमाकर्ता उक्त प्रकार निर्गत चैकबुक से मात्र सम्बन्धित मिनी बैंक से ही धन आहरित, कर सकेंगे । प्रथम चरण में मिनी बैंक में चैकबुक व्यवस्था सभी समितियों में प्रारम्भ न कर चयनित समितियों में ही प्रारम्भ की जाय । चैक बुक हेतु निर्धारित शुल्क सम्बन्धित जमाकर्ता द्वारा देय होगा ।

20. मिनी बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा मिनी बैंक में अपने खाते में जमा कराने हेतु अन्य बैंको के चैक यदि प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनका कलेक्शन जिला सहकारी बैंक के माध्यम से कराया जायेगा एवं जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति को चैक की धनराशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही संबंधित जमाकर्ता के खाते में अंकित की जायेगी जिसके लिये मिनी बैंक के द्वारा नियमानुसार चैक के पृष्ठ भाग में पृष्ठांकन किया जायेगा ।

उक्त के अतिरिक्त अन्य निर्देश पूर्व में मिनी बैंकों के संचालन के संबंध में जो समय-समय पर निर्गत किये गये थे, यथास्थिति प्रचलित रहेंगे ।

(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल ।

पत्रांक-सी-47 /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी
2. प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. निजी सचिव, मा० सहकारिता मंत्री जी को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल,
अल्मोड़ा ।

कार्यालय पत्र	निबन्धक संख्या 223	सहकारी /अधि/महिल समूह	समितियाँ, /2003-04	दिनांक 03	उत्तरांचल । दिसम्बर 2003 ।
1- सचिव/महाप्रबन्धक समस्त जिला सहकारी बैंक लि० उत्तरांचल ।					
2- समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल ।					
3- समस्त सचिव प्रा०कृ० ऋण सहकारी समितियाँ उत्तरांचल ।					

विषय :- महिला समूहों का गठन एवं वित्तपोषण ।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 156/समूह/2003-04 दिनांक 19 जुलाई 2003 एवं परिपत्र संख्या सी 174/2003-04 दिनांक 14 अगस्त 2003 का संदर्भ लें । अभी तक महिला समूहों के गठन की समीक्षा की गई, नवम्बर 2003 तक 4000 महिला समूह सहकारिता के अर्न्तगत गठित हो चुके हैं जिनकी 28 लाख रु० बचत पैक्स/बैंक शाखाओं में जमा हो चुकी है ।

माननीय सहकारिता मंत्री जी ने दिसम्बर 2003 तक उत्तरांचल के समस्त गाँवों में महिला समूह गठित करने के निर्देश दिये थे वर्तमान प्रगति से स्पष्ट होता है कि दिसम्बर 2003 तक समस्त गाँवों में महिला समूह गठित होना सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध में आपकी निर्देशित किया जाता है कि 31 मार्च 2004 तक उत्तरांचल के समस्त 16662 गाँवों में सहकारिता के महिला समूहों को गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे । सभी अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन के समय महिला समूह की प्रगति का आंकलन किया जायेगा ।

1- महिला समूहों को वित्तपोषण-

महिला समूह गठन के 2 माह पश्चात आवश्यकता के अनुरूप वित्तपोषण प्रारम्भ किया जाये । पैक्स से वित्तपोषण प्रारम्भ करने से पूर्व महिला समूह को समिति का सदस्य बनाया जायेगा तथा समूह के समस्त सदस्यों को नाममात्रिक सदस्य बनाया जायेगा । समूह से वित्तपोषण करते समय 1:20 के अनुसार में अंशपूजी प्राप्त की जायेगी, यह राशि समूह से प्रस्ताव प्राप्त कर समूह की बचत राशि से ली जा सकेगी । समूह का जमा ऋण अनुपात 1.3 होगा । समूह अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रार्थना पत्र पैक्स/मिनी बैंक को देगा समिति समूह की जमा बचतें 3 गुना तक कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत करेगा । यह कैश क्रेडिट ऋण सीमा जमा (बचत) बढ़ने पर आवश्यकतानुसार समूह की माँग पर बचत की 3 गुना (अनुपात के आधार पर) अधिकतम एक लाख रु० तक बढ़ाई जा सकेगी, इससे अधिक ऋण सीमा की आवश्यकता होने पर परिपत्रांक सी-15 में गठित ही दिया जायेगा तथा महिला योजना में प्राविधानित केन्द्रीय फण्ड इत्यादि का सृजन योजना के अनुसार ही होगा ।

2-ब्याज दर-

पैक्स समूह से वित्तपोषण राशि पर निम्न प्रकार से ब्याज लगायेगी -

1- समूह की जमा बचत राशि पर पैक्स बचत खाते की दर से समूह को ब्याज देगी, जब समूह ऋण लेगा तो समूह की जमा बचत राशि पर जो ब्याज पैक्स दे रही है उससे 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लेगी इसकी तो समूह की जमा बचत राशि पर जो ब्याज पैक्स दे रही है उससे 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लेगी इसकी गणना त्रैमासिक होगी । समूह की जमा राशि के अतिरिक्त ऋण राशि पर पैक्स समूह से 11 प्रतिशत ब्याज लेगी । जिला सहकारी बैंक इस योजना के अर्न्तगत एक समिति को समूहों की जमा बचत के चार गुना तक पुनर्वित्त पैक्स को उपलब्ध करायेगी । इस योजना के अर्न्तगत एक समिति की ऋण सीमा सी-15 के अर्न्तगत गठित जिला कमेंटी द्वारा स्वीकृति की जायेगी । जिला सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अर्न्तगत पैक्स को वितरित ऋण का 90 प्रतिशत पुनर्वित्त 8 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा ।

3- वसूली:-

समूह को दिये गये ऋण की सामयिक वसूल

4- ऋणी से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेना-

चूँकि पैक्स समूह को वित्तपोषण कर रहा है इसलिये समूह के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र लेना व्यवहारिक नहीं होगी । यदि किसी महिला/सदस्य के परिवार को कोई अन्य सदस्य पैक्स या को-ऑपरेटिव बैंक का बकायादार हो तो महिला समूह के वित्तपोषण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा लेकिन समूह बकायेदार नहीं होना चाहिये ।

5- ऋण राशि का बीमा-

समूह की सहमति से पैक्स राशि से अर्जित सम्पत्ति का बीमा जो दस हजार रू0 से अधिक उत्पादकता कार्य हेतु दिये गये ऋण का कराया जायेगा । बीमा प्रीमीयम राशि समूह/ऋणी सदस्य द्वारा वहन की जायेगी ।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक

सहकारी समितियां उत्तरांचल ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- क्षेत्रीय प्रबन्धक, शीर्ष सहकारी बैंक लि0, उत्तरांचल ।
- 2- उपनिबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 देहरादून ।
- 4- अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 6- महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ।
- 7- सचिव, महिला व समाज कल्याण, उत्तरांचल ।
- 8- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
- 9- निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री जी, उत्तरांचल सरकार देहरादून को मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।

निबन्धक

सहकारी समितियां उत्तरांचल ।

कार्यालय	निबन्धक	सहकारी	समितियाँ	उत्तरांचल ।
पत्रांक-सी-41	/अधि0/2003-04	/दिनांक	दिसम्बर	17.2003 ।

1- समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल ।

2- समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तरांचल ।

विषय - परिपत्रांक सी-15 /अधि0/स्वाश्रयी/2003 दिनांक 31.05.2003 के क्रम में निर्गत पत्रांक 147/अधि0/2003 दिनांक 08.07.2003 में आंशिक संशोधित ।

उक्त संन्दर्भ पत्रों में आंशिक संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- 1- समिति स्तर पर उक्त परपत्र के अर्न्तगत दिये जाने वाले ऋणों में अंशधन का अनुपालन 1:20 का होगा ।
- 2- परिपत्र के प्रस्तर-7 के अर्न्तगत उल्लिखित तीर्थाटन, पर्यटन स्थलों के लिए समिति के साथ-साथ सदस्य को भी प्रतिभूति/जमानत लेकर ऋण जिला कमेटी की स्वीकृति प्राप्त कर दिया जायेगा । यह ऋण बैंक शाखा द्वारा दिया जायेगा ।
- 3- पेंशनधारियों को ऋण वितरण करने में यदि अन्य राष्ट्रीय बैंकों से आश्वासन पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं, की दशा में शपथ-पत्र एवं 2 व्यक्तिगत जमानती लेकर ऋण दिया जा सकता है पेंशनधारियों से वसूली के अग्रित चैक भी प्राप्त किये जा सकते हैं । ऋण की स्वीकृति बैंक स्तर पर ही की जायेगी ।

जिला कमेटी इस योजना के अर्न्तगत वितरित ऋणों की शत प्रतिशत वसूली भी सुनिश्चित करेगी । योजना के अर्न्तगत वितरित ऋण की मासिक डिमाण्ड लगाई जायेगी । जिला कमेटी प्रत्येक माह समीक्षा रिपोर्ट परिपत्र के प्रत्येक बिन्दुवार राज्य कमेटी को भेजना सुनिश्चित करेगी ।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तरांचल ।

पत्रांक सी-41 /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक, शर्मा सहकारी बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी ।
2. उप निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल ।
4. महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून ।
5. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
6. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

अपर, निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तरांचल
अल्मोडा ।

- 1- समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल ।
- 2- समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल ।
- 3- समस्त सचिव प्रा0 कृ0 ऋण सहकारी समितियां, उत्तरांचल ।

विषय-परिपत्र संख्या सी-15/अधि0/पैक्स/स्वश्रयी/2003-04 दिनांक 31.05.2003 में आंशिक संशोधित ।

- 1- इस कार्यालय के उपरोक्त परिपत्र का संदर्भ लें, परिपत्र के बिन्दु 1,2,4,5,6,7, व 8 में ऋण वितरण समिति के नये सदस्यों तथा गैर बकायादार अऋणी सदस्यों को ही किया जायेगा ।
- 2- प्रस्तर 4 में स्वयं सहायता समूह के अर्न्तगत वर्ष/अवधि सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त किया जाता है तथा स्वयं सहायता समूह की सन्तोषजनक कार्यप्रणाली पर निक्षेप और ऋण का अनुपात 1:3 रहेगा । पैक्स समूह को अपना सदस्य बनायेगी । जो पैक्स मिनी बैंक का कार्य नहीं कर रही है वहा पर भी समिति में समूह का निक्षेप खाता खोला जायेगा । समिति उसको अमानत राशि को बैंक शाखा में अलग खातों में जमा करेगी ।
- 3- ऋण की सुरक्षा हेतु एवं बैंक शाखा दो अन्य सदस्यों की गारन्टी जिनकी जमीन, मकान अथवा कोई अन्य अचल सम्पत्ति समिति के कार्य क्षेत्र में स्थिति हो, लेना सुनिश्चित करेगी । आवश्यकता के अनुरूप उक्त ऋणियों का खाता जिला सहकारी बैंक की शाखा में खुलवाकर चैक बुक प्राप्त कर वसूली हेतु ऋणी से अग्रिम चैक भी प्राप्त कर सकती है ।

उपरोक्त ऋण से सम्बन्धित अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं विविध ऋण इत्यादि के ऋण आवेदन पत्र के प्रारूप प्रोनोट, गारन्टी डीड, इत्यादि प्रपत्र सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक द्वारा मूल्य प्राप्त कर समितियों को उपलब्ध कराये जायेंगे । उपरोक्तानुसार ऋण वितरण का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तथा जिला स्तर पर इसकी पाक्षिक समीक्षा करते हुए प्रगति से प्रत्येक माह अपर निबन्धक सहकारी समितियों उत्तरांचल को अवगत कराया जाये ।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

सहकारी समितियां उत्तरांचल ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित-

1. समस्त सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), उत्तरांचल ।
2. समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी सहकारी समितियां, उत्तरांचल ।
3. समस्त सभापति/प्रशासक, पैक्स, उत्तरांचल ।
4. समस्त शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल ।
5. समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक उत्तरांचल ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी ।
7. उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 ।
9. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून ।
10. सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
11. निदेशक, कोषागार/ऑडिट, सहकारी समितियां उत्तरांचल, देहरादून ।

(जी0सी0मैकोटा)

अपर निबन्धक,

सहकारी समितियां उत्तरांचल ।

1- समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल,
बागेश्वर ।

2- समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि० उत्तरांचल ।

3- समस्त सचिव,
पैक्स/लैम्पस,उत्तरांचल ।

विषय-पैक्स व अन्य सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम, तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु ।

प्रदेश स्तर पर पैक्स व अन्य सहकारी समितियों की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रदेश की अधिकतम समितियाँ पूर्णतया स्वाश्रयी नहीं हैं तथा समितियाँ अपने सचिव का वेतन भार भी वहन करने की स्थिति में नहीं हैं अतः प्रदेश की सहकारी समितियों को पूर्ण रूप से स्वाश्रयी बनाने हेतु 01.06.2003 से निम्न कार्यक्रम समयबद्ध रूप से प्रदेश की सहकारी समितियों के हित में लागू किये जाते हैं ।

1- कृषि ऋणों में वृद्धि-

समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया है कि पैक्स द्वारा फसली ऋण वितरण प्रचुर मात्रा में नहीं किया जा रहा है, इसमें तत्काल वृद्धि लाये जाने हेतु निम्न कार्यक्रम लागू किये जाते हैं-

समिति के कार्यक्रम में निवास करने वाले समस्त कृषक एवं अकृषक परिवारों के सदस्यों को समिति का सदस्य बनाया जाय तथा जो सदस्य निष्क्रिय हैं उसको सक्रिय किया जाये तथा समस्त कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायें । उक्त कार्यक्रम की 75 प्रतिशत पूर्ति स्तरीय कमेटी समितिवार कृषि ऋणों के लक्ष्य निर्धारित करेगी ।

2- मध्यकालीन सामान्य ऋण वितरण-

वर्तमान में समितियों द्वारा मध्यकालीन सामान्य ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है, गत वर्ष के कटु अनुभवों के कारण इसको प्रतिबन्धित किया गया था लेकिन वर्तमान में समितियाँ को स्वाश्रयी बनाने की दृष्टि से इसको प्रारम्भ किया जाये । समिति अपने कार्यक्षेत्र में स्थित सदस्यों को आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम 20000-00 रु० अथवा वास्तविक लागत मूल्य में से जो भी कम हो, गाय, भैस बैलगाड़ी बुग्गी, घोड़ा, खच्चर, भेड़, बकरी इत्यादि के लिए सदस्य को मध्यकालीन सामान्य ऋण उपलब्ध करा सकेगा । इसकी वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व समिति सचिव का होगा योजना के अन्तर्गत प्रति समिति अधिकतम ऋण सीमा दो लाख रु० होगी, इससे अधिक आवश्यकता होने पर समिति अपना प्रस्ताव बैंक को प्रेषित करेगी । जिला स्तर पर गठित कमेटी समिति के पूर्व में वितरण मध्यकालीन ऋणों की समीक्षा कर सन्तोषजनक प्रगति होने पर समिति की अधिकतम सीमा 2-00 लाख में वृद्धि करने के लिए अधिकृत होगी लेकिन यह वृद्धि किसी भी दशा में 4-00 लक्ष्य यह प्रति समिति से अधिक नहीं होगी । इससे अधिक ऋण की आवश्यकता होने पर समिति का प्रस्ताव जिला कमेटी की संस्तुति के साथ राज्य कमेटी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आवश्यकता के अनुरूप ऋण सीमा करने के लिए समक्ष होगी, बैंक तदनुसार इस हेतु समिति की ऋण सीमा स्वीकृत करेंगे ।

3- मिनी बैंक निक्षेप संचय योजना:-

वर्तमान में उत्तरांचल में 756 पैक्स में से 195 पैक्स मिनी बैंक का कार्य कर रही हैं जिनमें लगभग 50 करोड़ रुपये निक्षेप एकत्रित हुए हैं । पैक्स को स्वाश्रयी बनाने हेतु मिनी बैंक निक्षेप एकत्रित कराना सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसको प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से निम्न निर्देश दिये जाते हैं-

क- पूर्व प्रसारित निर्देशों को संशोधित करते हुए मिनी बैंक खोलने हेतु निर्धारित मानकों को शिथिल करते हुए मिनी बैंक चयन हेतु जिला कमेटी को अधिकृत किया जाता है । मिनी बैंक समिति अपने कार्यक्षेत्र में एक या अधिक स्थानों पर मिनी बैंक काउन्टर जिला कमेटी की पूर्व अनुमति से खोलने के लिए भी अधिकृत होगी ।

ख- पूर्व से कार्यरत मिनी बैंक समिति कम से कम न्यूनतम 5 लाख रु० के निक्षेप स्तर का प्राप्त करेगी तथा जिन मिनी बैंकों के निक्षेप 5 लाख से अधिक हैं वह 31.03.2003 के एकत्रित निक्षेप का 20 प्रतिशत निक्षेप वृद्धि 31.03.2004 तक पूरा करना सुनिश्चित करेगी ।

ग- प्रत्येक बैंक अपने कार्यक्षेत्र में प्रति बैंक 5 नये मिनी बैंक खोलेंगे जिन बैंकों का कार्यक्षेत्र 2 जनपद है यहाँ प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 2 नये मिनी बैंक 31.03.2004 से पूर्व खोले जायेंगे तथा इनका इस वर्ष का न्यूनतम निक्षेप लक्ष्य 3-00 लाख रु० प्रति मिनी बैंक निर्धारित किया जाता है । आगामी वर्षों में भी नये मिनी बैंक खोलत व निक्षेप संचय के लक्ष्य उक्तानुसार ही निर्धारित रहेंगे, उक्त लक्ष्यों को पूर्ति सुनिश्चित की जाये ।

4- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण वितरण-

उत्तरांचल में 14000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है उक्त समूह निक्षेप संचय व ऋण विस्तार का एक बहुत उपयुक्त साधन बन सकते हैं इसलिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह पैक्स से सम्बद्ध कर निक्षेप संचय व ऋण वितरण का कार्य किया जायें, इस हेतु 31.03.2004 तक एक समिति से न्यूनतम 5 समूह सम्बद्ध करते हुए 1.00 लाख रु० निक्षेप तथा 1.00 लाख रु० ऋण वितरण का लक्ष्य प्रथम वर्ष का निर्धारित किया जाता है। आगामी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में निक्षेप-ऋण का अनुपात क्रमशः 1 : 2 : 3 वे 1:4 होगा। सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक इस हेतु समिति को अलग से ऋण सीमा स्वीकृत करेंगे। मुख्य रूप में महिलाओं के समूह गठित करने को विशेष प्राथमिकता दी जाए।

5- पैक्स द्वारा विविध प्रयोजना हेतु ऋण वितरण -

पैक्स का स्वाश्रयी करने के उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों के साथ-साथ एक कार्यक्रम विविध प्रयोजना हेतु ऋण वितरण करना भी सम्मिलित किया जाता है, पैक्स सचिव, पूर्णरूप से आश्वस्त हो जाने पर अपने कार्यक्षेत्र में निम्न योजनाओं में समिति सदस्यों को ऋण वितरण करने हेतु अधिकृत होंगे। उक्त ऋण की वसूली का उत्तरादायित्व भी समिति सचिव का होगा।

क्र०सं०	प्रयोजन	निर्धारित ऋण राशि	ऋण की अवधि	ब्याज दर
1	समिति का सदस्य स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की चिकित्सा हेतु ऋण	5000.00	एक वर्ष	11 प्रतिशत
2	आश्रित पुत्र/पुत्र की शिक्षा हेतु	5000.00	एक वर्ष	11 प्रतिशत
3	पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु	15000.00	एक वर्ष	11 प्रतिशत
4	टिकाऊ घरेलू सामान जैसे टीवी, फ्रिज फर्नीचर आदि	15000.00	तीन वर्ष	11 प्रतिशत
5	कुटीर उद्योग, दुकान व अन्य व्यवसाय हेतु	15000.00	तीन वर्ष	11 प्रतिशत
6	औषधि/क्लीनिक की स्थापना हेतु	15000.00	तीन वर्ष	11 प्रतिशत
7	पक्का भवन/निर्मित भवन का विस्तार/मरम्मत	15000.00	पॉच वर्ष	11 प्रतिशत

क्रमांक 1 से 7 तक विर्णित प्रयोजना हेतु अधिक से अधिक एक साथ एक सदस्य को 3 प्रयोजनों हेतु ऋण दिया जा सकेगा। जिसकी अधिकतम सीमा 25000.00 रु० से अधिक नहीं होगी। उक्त ऋण की सुरक्षा हेतु ऋणी अथवा जमानती की ली जाने वाली ऋण राशि मूल्य तक अचल सम्पत्ति गारंटी भी लेनी होगी। प्रथमतः एक समिति विविध प्रयोजनों में 2.00 लाख रु० तक ऋण वितरण करेगी, अधिक आवश्यकता होने पर जिला कमेटी समिति की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होने पर विकास खण्ड समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त ऋण सीमा 5.00 लाख रु० तक वृद्धि करने हेतु अधिकृत होगी। इस हेतु बैंक द्वारा अलग से समिति की ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

6-भेषज व जड़ी-बूटी उत्पादन, सम्बर्द्धन प्रोसेसिंग व विपणन का कार्य-

पैक्स के सदस्यों के माध्यम से किया जाये तथा इस हेतु यदि पैक्स के सदस्यों को ऋणसीमा की आवश्यकता है तो वह समिति द्वारा सदस्यों की तथा बैंक द्वारा समिति की सीमा स्वीकृत की जायेगी। विपणन का कार्य केन्द्रीय/शीर्ष समिति के माध्यम से किया जायेगा।

7- तीर्थाटन व पर्यटन स्थलों के निकट कार्यरत समितियाँ द्वारा टूरिस्ट लॉज, ढाबा, (रैन बसेरा) चलाने की योजना लागू करना:-

जो समिति इन स्थलों के निकट सड़क पर स्थित है वह इस योजना को लागू करने के सम्बद्ध में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायेगी तथा समिति के प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति के माध्यम से स्वीकृत हेतु जिला कमेटी को प्रस्तुत करेगी। जिला कमेटी प्रोजेक्ट की आर्थिकता के आंकड़े को देखते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी। ढाबे हेतु 1.00 लाख रु० टूरिस्ट लॉज हेतु 4.00 लाख रु० तथा अन्य साज सज्जा हेतु 1.00 लाख रु० कुल 6.00 लाख रु० तक की अधिकतम ऋण सीमा सम्बन्धित समिति की जिला कमेटी की संस्तुति पर सम्बन्धित जिले के बैंक द्वारा स्वीकृत की जायेगी जिसकी अवधि पॉच वर्ष होगी।

8- पेंशनधारियों को सुविधा-

पेंशनधारियों को जो समिति के कार्यक्षेत्र में रहते हो 12 माह की पेंशन राशि के बराबर अधिकतम 40000.00 में से जो भी कम हो, जिस बैंक से पेंशन मिलती है उसमें लियन दर्ज कराकर बैंक से लिखित अन्डरटेकिंग लेकर तथा विधिवत जमानत लेकर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा जिसकी ऋण अवधि 5 वर्ष होगी और ब्याज दर 11 प्रतिशत होगी।

क्रमांक 2, 4, 5, 6, व 7, 8 के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से 9 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जायेगा, जो समितियाँ मिनी बैंक का कार्य कर रही हैं तथा इनका निक्षेप बैंक में विशेष खातों में जमा है, जमाराशि तक यदि समिति बैंक से ऋण लेती है तो उस पर बैंक विशेष निक्षेप पर देय ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत अधिक सम्मिलित कर ब्याज चार्ज करेगी ताकि मिनी बैंक निक्षेप संचय का लाभ समिति को भी मिल सके। उक्त ब्याज दर मिनी बैंक समितियों में अन्य उद्देश्यों हेतु जैसे कृषि ऋण, उर्वरक व्यवसाय इत्यादि के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर भी लागू होगी।

इस कार्ययय के परिपत्रांक सी-774/2002-2003 / ब्याज दर दिनांक 04.02.2003 के प्रस्तर 2 को उक्तानुसार संशोधित समझा जाये। समिति क्रमांक 2, 3, 5 व 6 के अन्तर्गत ऋण लाभार्थी से निक्षेप की ब्याज दर से ब्याज देगी। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न 3 समितियों का गठन किया जाता है।

1- विकासखण्ड/शाखा स्तर कमेटी:-

- 1- सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी/शाखा प्रबन्धक, डी0सी0बी0-(अध्यक्ष)
- 2- सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, डी0सी0बी0-सदस्य
- 3- सम्बन्धित पैक्स के अध्यक्ष/प्रशासक अथवा इनके द्वारा नामित-सदस्य
- 4- सम्बन्धित पैक्स के सचिव-संयोजक

उक्त योजना के समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समीक्षा कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है जिसकी प्रत्येक त्रैमास में अनिवार्य रूप से एक बैठक होगी जिसमें प्रगति की जनपदवार समीक्षा की जायेगी।

- 1-अपर निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल- अध्यक्ष
- 2-प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0- सदस्य
- 3-उप निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल- सदस्य/सचिव।

उत्तरांचल की पैक्स को स्वाश्रयी करने के सम्बन्ध में उक्त बिन्दु 1 से 7 तक में दिये गये प्राविधानों को कड़ाई से लागू करने हेतु निबन्धक, सहकारी, समितियाँ उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित परिपत्रों को उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में यथासंशोधित समझा जायेगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इस निमित्त किसी भी प्रकार की समिति की ऋण सीमा आवश्यकता के अनुसार 15 दिन के अन्दर स्वीकृत की जायेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु इसकी प्रगति एवं विकास खण्ड स्तरीय बैठकों में भाग लेने को उत्तरदायित्व तहसीलदार बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धकों एवं अपर जिला सहकारी अधिकारियों को दिया जायेगा तथा इनके वार्षिक कार्यों के मूल्यांकन में इसका उल्लेख किया जायेगा। बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक व जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन भी इसी के आधार पर किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत बांटे गये ऋणों की वसूली का समस्त उत्तरदायित्व समिति के सचिव का होगा। इस योजनावर्तगत अस्वाश्रयी समितियों में नियुक्त सचिवों का स्थानान्तरण दो वर्ष तक नहीं किया जायेगा जिसमें कि ये बिना व्यवधान के 2 वर्ष के अन्दर समिति को स्वाश्रयी बना सकें। उक्त परिपत्र में उल्लिखित समस्त योजनाओं में ऋण विवरण करने से पूर्व समिति अपने सभी औपचारिकताएं जैसे सावधि प्रोनोट, इत्यादि परिपत्र भराना सुनिश्चित करेगी।

उक्त परिपत्र का सभी स्तरों पर परिपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी समिति पर उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन में कोई अड़चन/भ्रान्ति आती है तो उससे तत्काल राज्य स्तरीय कमेटी को अवगत कराया जाये ताकि तदनुसार उसपर मार्गदर्शन प्रेषित किया जा सकें। उक्त योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक व जिला सहायक निबन्धक, अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल को प्रेषित करेंगे।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता, उत्तरांचल।
- 2- समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 3- समस्त सभापति/प्रशासक, प्रा0 कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।
- 4- समस्त शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
- 5- समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
- 6- समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
- 6- समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
- 7- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0को0 बैंक लि0 देहरादून/हल्द्वानी।
- 8-उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0
- 10- महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
- 11- सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- 12- निदेशक, कोषागार/ऑडिट, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल देहरादून।

(जी0सी0मैकाटा)

अपर निबन्धक,

सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1— सचिव, वन विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/पेयजल विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/कृषि विभाग/पशुपालन विभाग/श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन,
- 2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

सहकारिता, अनुभाग:-1

देहरादून:

दिनांक

20

मई,

2005।

विषय:- राज्य में निबन्धित श्रम एवं निर्माण संविदा सहकारी समितियों को बिना टेन्डर के निश्चित सीमा तक निर्माण कार्य आवंटन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासक के पत्र संख्या-22/Xiv-2005, दिनांक 17 जुलाई 2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। कि उक्त शासनादेश द्वारा कतिपय शर्तों के तहत सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम सहकारी समितियों को बिना निविदा या कोटेशन मांगे प्राथमिकता के आधार पर रु० 1.00 लाख तक के निर्माण कार्य आवंटित किये जाय, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न विभागों द्वारा श्रम सहकारी समितियों को उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्य आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। जिस कारण स्थानीय बेरोजगारी को इन समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2— यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इन समितियों को अधिकाधिक कार्य मिले ताकि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में यह प्रक्रिया सहायक हो सके।

3— उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कई ऐसे कार्य हैं। जिनके लिए संविदा आमंत्रित किए जाने के प्राविधान नहीं है, ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम ग्राम विकास विभाग तथा पंचायत राज विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में भी स्थानीय बेरोजगारों का बिना निविदा रोजगार प्रदान करने का प्राविधानित है, ऐसे रोजगारों को भी श्रम सहकारी समितियों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का वास्तव में लाभ हो सके, अतः निविदा प्रणाली के अतिरिक्त अधिकाधिक कार्य भी श्रम सहकारी समितियों द्वारा कराया जाए।

4— उक्त शासनादेश के कार्यान्वयन हेतु यह भी आवश्यकता है कि श्रम सहकारी समितियों द्वारा श्रम विभाग के विभिन्न अधिनियमों/शासनादेशों को भी अनुपालन किया जाये।

5— श्रम सहकारी समितियों को अधिकाधिक कार्य तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में यह प्रक्रिया सहायक हो इस हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समीक्षा समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|--------------|
| (1) जिलाधिकारी— | अध्यक्ष, |
| (2) मुख्य विकास अधिकारी— | उपाध्यक्ष, |
| (3) सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों— | संयोजक सचिव, |
| (4)(क) वन विभाग, लो०नि०विभाग, जल निगम जल संस्थान
ग्रामीण अभियन्त्रण, सिंचाई लघु सिंचाई कृषि, ग्राम्य
विकास तथा पशुपालन आदि विभाग के सर्वोच्च जिला
स्तरीय अधिकारी— | सदस्य |

(ख) श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी— सदस्य,

(ग) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के
दो प्रतिनिधि (अधिकतम एक वर्ष के लिए)— सदस्य

(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित श्रम समितियों के दो
प्रतिनिधि (अधिकतम एक वर्ष के लिए)— सदस्य,

6— उक्त समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आहुत की जाए और त्रैमासिक प्रगति शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय

(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव,

संख्या—270 /Xiv-1 / तददिनांकित,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तरांचल।
- 2— मुख्य वन संरक्षण उत्तरांचल।
- 3— मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई/पेयजल एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तरांचल।
- 4— ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरांचल।
- 5— श्रम आयुक्त उत्तरांचल।
- 6— निदेशक नियोजन एवं पशुपालन विभाग उत्तरांचल।
- 7— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 8— समस्त मुख्य निबन्धक/समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तरांचल।
- 9— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर उत्तरांचल।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

प्रेषक,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सहकारिता,

गन्ना एवं चीनी अनुभाग:

देहरादून

दिनांक 07 जुलाई 2004।

विषय:- राज्य में निबन्धित श्रम एवं निर्माण संविदा सहकारी समितियों को बिना टेन्डर के निश्चित सीमा तक निर्माण कार्य आवंटन किया जाना।
महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जिनके द्वारा निर्माण कार्य कराये जाते हैं, के द्वारा श्रम सहकारी समितियों को बिना निविदा या कोटेशन मॉर्गे निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्राथमिकता के आधार पर 1.00 लाख रु० मूल्य तक के निर्माण कार्य आवंटित किये जाये-

(1) श्रम सहकारी समिति उत्तरांचल राज्य में स्थिति हो तथा उसका कार्यक्षेत्र उत्तरांचल राज्य हो व निबन्धक सहकारी समितियों, उत्तरांचल द्वारा पंजीकृत हो।

(2) श्रम सहकारी समितियों का नियमित ऑडिट हो रहा हो ऐसी समिति आडिट में न्यूनतम 'बी' श्रेणी की हो, श्रेणी 'ए' की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) कार्य का ठेका जिले के लिये स्वीकृत दरों को अनुसूचित या स्वीकृत विभागीय आगणन के अनुसार जो भी कम हो, के आधार पर दिया जायेगा।

(4) जनपद में उक्त श्रेणी की एक से अधिक श्रम सहकारी समितियों द्वारा कार्य आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की दशा में ऐसी समस्त समितियों से सीमित टेंडर या कोटेशन प्राप्त करके सबसे कम टेंडर देने वाली समिति को कार्य आवंटन किया जायेगा।

(5) ऐसी श्रम सहकारी समितियों से सामान्य बनाया/जमानत की धनराशि जमा करान में छूट रहेगी।

(6) कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में समितियों को माप के आधार पर पाक्षिक भुगतान किया जायेगा।

(7) ऐसी समिति के पास निर्माण कार्य करने हेतु उपयुक्त साधन हो तथा पूर्व में उनके कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई शिकायत न हो अथवा उस समिति को कार्य करने हेतु किसी स्तर से प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित न किया गया हो।

(8) यह सुनिश्चित किया जाये कि यह सहकारी समितियाँ वास्तविक हो तथा किसी व्यक्ति या परिवार के लिए छद्म आवरण/संस्था के रूप में कार्य न कर रही हो।

(9) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-398/वित्त अनु०-2/2004 दिनांक 08 जुलाई 2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव

संख्या-222(1) /Xiv-1 / 2004 / तददिनांक / उक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 2- निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
- 3- समस्त सहायक निबन्धक उत्तरांचल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 5- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमौठ मण्डल, उत्तरांचल पौड़ी/नैनीताल।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा०पी०एस०गुसाई)
अपर सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं० 205/अधि०/एमओयू/2003-04 दिनांक 05-11-2003 के क्रम में नाबार्ड मुंबई के पत्रांक 113/आईडीडी/9/2004 दिनांक 15-05-2004 में निर्गत निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल के जिला सहकारी बैंको की विकास कार्य योजना एवं सहमति ज्ञापन पत्र के प्राविधानों के निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है—

राज्य स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति—

1— निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तरांचल	अध्यक्ष
2— अध्यक्ष, शीर्ष सहकारी बैंक	सदस्य
3— सचिव (वित्त) द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4— प्रभारी, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	सदस्य
5— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6— अपर निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तरांचल	सदस्य
7— प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शीर्ष सहकारी बैंक उत्तरांचल सदस्य/संयोजक	
जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति—	

1— उपनिबन्धक, सहकारी समितियों	अध्यक्ष
2— सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के सभापति/अध्यक्ष	सदस्य
3— शीर्ष सहकारी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
4— क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, उत्तरांचल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6— सम्बन्धित जनपद के जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियों	सदस्य
7— सम्बन्धित जनपद के जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियों	सदस्य
8— सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक के सचिव/महाप्रबन्धक	सदस्य/संयोजक

उक्त राज्य एवं जिला स्तरीय समीक्षा समितियों की बैठक प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात अगले माह की 25 तारीख तक कराने का दायित्व कमेटी के सदस्य-संयोजक का होगा ।

(पराग गुप्ता)

निबन्धक

सहकारी समितियों उत्तरांचल ।

कार्यालय	निबन्धक	सहकारी	समितियों	सहकारी समितियों उत्तरांचल ।
पत्रांक 83	/2004-05	/कैम्प देहरादून	/दिनांक	उत्तरांचल ।
				6 नवम्बर 2004 ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित—

- 1— समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तरांचल को अनुपालनार्थ ।
- 2— समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तरांचल को अनुपालनार्थ ।
- 3— उपनिबन्धक, सहकारी समितियों, देहरादून /अल्मोडा को अनुपालनार्थ ।
- 4— अपर निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तरांचल ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी को अनुपालनार्थ ।
- 6— समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक लि० उत्तरांचल ।
- 7— समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल ।
- 8— मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ।
- 9— मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्यालय, मुम्बई ।
- 10— मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ।
- 11— सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
- 12— सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
- 13— प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल ।

निबन्धक

सहकारी समितियों उत्तरांचल ।

कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियों उत्तरांचल ।
पत्रांक सी-17 /अधि0/एन0पी0ए0 /2003-04 /दिनांक जून 08.2003 ।

1-समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियों उत्तरांचल ।

2-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0,उत्तरांचल ।

विषय:- सहकारी समितियों में बकाया ब्याज एवं गैर निष्पादक आस्तियों के विरुद्ध प्राविधान ।

सहकारी संस्थाओं द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों (एन0पी0ए0) के आकलन तथा उसके विरुद्ध प्राविधान विषयक भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के निर्देशों के तहत जिला सहकारी बैंकों के द्वारा वांछित प्राविधान किया जाना है। तदनुसार परिपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं अन्य क्रेडिट समितियों द्वारा उक्त का अपुपालन नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में सहकारी समितियों द्वारा अशोध्य एवं सदिग्ध ऋण पर ब्याज आंकलित कर लाभ में काल्पनिक वृद्धि की जा रही है जिसका प्रतिकूल प्रभाव समितियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। सहकारी समिति अधिनियम व नियमों में भी प्राविधान है कि लाभ का विवरण बकाया ब्याज घटाकर किया जाये। इस परिपेक्ष्य में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

1- 31.03.2003 को बकाया ब्याज का शत प्रतिशत प्राविधान किया जाये । समिति में हानि होने पर भी बकाया ब्याज का पूर्ण प्राविधान किया जाये।

2- 31.03.2003 को 5 वर्ष व उससे अधिक अवधि के बकाया का 25 प्रतिशत प्राविधान किया जाये तथा अगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष व उससे अधिक की बकाया आंकलित कर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्राविधान किया जाये। इस प्रकार 4 वर्षों में 5 वर्ष से अधिक के बकाया के विरुद्ध 100 प्रतिशत प्राविधान कर लिया जाये।

3- 3 वर्ष से 5 के मध्य के बकाया हेतु प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष में 75 प्रतिशत, पंचम वर्ष में 100 प्रतिशत प्राविधान किया जाये ताकि 3 वर्ष में 5 वर्ष तक का बकाया शत प्रतिशत आच्छादित हो सके।

4- समिति के संतुलन पत्र दिनांक 31.03.2003 के अनुसार समिति सदस्यों पर लगे ऋण की अपेक्षा कार्य विवरण पत्र के अनुसार सदस्यों पर लगा ऋण कम है तो अन्तर की धनराशि का 31.03.2003 को शतप्रतिशत प्राविधान किया जाये।

अतः 31.03.2003 को समस्त सहकारी वर्ष हेतु सही-सही कार्य विवरण तैयार करा कर तथा 5 वर्ष व उससे अधिक एवं 3 वर्ष व 5 वर्ष के मध्य की अवधि के बकाया की सदस्यवार सूची तैयार करा कर उक्तानुसार प्राविधान कराते हुये 31.03.2003 का संतुलन पत्र यथाशीघ्र तैयार कराया जाये, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि समिति के द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए सही-सही संतुलन पत्र तैयार किया गया है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये, ताकि समितियों की सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित हो सके।

(अनिल कुमार शर्मा)

निबन्धक,

सहकारी समितियों उत्तरांचल ।

पत्रांक सी-17/ अधि0/ तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित ।

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 देहरादून ।

2- महाप्रबन्धक नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ।

3- सचिव सहकारिता, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

निबन्धक,

सहकारी समितियों उत्तरांचल ।

उत्तरांचल शासन
सहकारिता विभाग,
संख्या-423/2004/XIV-1/2004
देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 34 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त धारा के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग के नियन्त्रणाधीन समितियों के नाम निर्देशन की शक्तियों का प्रयोग करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1- जनपद की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों हेतु।

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

2- अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त केन्द्रीय/जिला स्तरीय सहकारी समितियों हेतु।

उप निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

3- अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त शीर्ष/राज्य स्तरीय सहकारी समितियों हेतु।

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।

(पराग गुप्ता)
सचिव।

संख्या:- 423 (1) /तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 2- समस्त जिला अधिकारी, उत्तरांचल देहरादून।
- 3- अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 4- समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 5- समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 6- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(पराग गुप्ता)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या 159(1)/IX/व0ग्रा0वि0/सह0/2001
देहरादून: दिनांक: 31 अगस्त 2001

उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 XI 1966) की धारा-3 की परधारा (2) के अन्तर्गत निबन्धक, सहकारी समितियों से सम्बन्धित समस्त शक्तियां जो निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा विभिन्न विभागाध्याक्षों एवं विभागीय अधिकारियों को प्रदत्त की गयी थी, को उत्तरांचल के महामहिम राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

समितियों का प्रकार

अधिसूचना संख्या

आवास समितियां

- 1-सहकारिता विभाग ग/148/12-ग क/70 दिनांक 11.02.1970
- 2-4592/12-ग-1-77-7 (8)-1976 दिनांक 06.12.1977
- 3-सहकारिता विभाग (1) 2711/12 सी-1-12 अ सं0 76 दिनांक 15.06.1976
- 4-सहकारिता विभाग (1) 771/XII/सी दिनांक 10.08.1989

औद्योगिक समितियां

- 1-ग/1314/12-ग क 314 (आर)-62 दिनांक 09.08.1970
ग0प्र0 18.04.1970
- 2-ग 558/12-ग क-314 (आर)-62 दिनांक 09.08.1971 ग0प्र0
28.03.1971
- 3-सहकारिता अनुभाग-1 3816/(पे)-12
ग-I-80-7(19)-76 दिनांक 08.05.1981
- 4-3816/II/12 ग-1-80-7 (19)-76 दिनांक 08.05.1981 ग.प्र.
08.05.1981
- 5- 1813/12-1 दिनांक 22.11.1986

मुख्य लेखा परीक्षक
सहकारी समितियां व पंचायतें
पंचायतें

- 1-सहकारिता विभाग
9166-ग/12-ग क-5 (3)-70 दिनांक 29.03.1971
ग.प्र. 06.11.1971

हथकरघा व कपड़ा
समितियां

- 1-सहकारिता अनुभाग
4668/ग-1-77-7(19)-76 दिनांक 07.02.1978

मत्स्य समितियां

- सहकारिता अनुभाग-1
5525/12 सी-1-82-7(6)-1982 दिनांक 29.01.1983

रेशम उत्पादन
समितियां

- सहकारिता अनुभाग-1
2851/XXI-C दिनांक 31.07.1988

खादी तथा ग्रामोद्योग
समितियां

- सहकारिता अनुभाग-1
1627/XXI-C-1-92-7-(7)-84 दिनांक 18.07.1991

उद्यान उत्पाद की
मार्केटिंग व प्रोसेसिंग
समितियां

- सहकारिता अनुभाग-1
434/XXI-C-1-92-7(7)-84
दिनांक 04.04.1992

उक्त के सन्दर्भ में, इसका प्रकाशन उत्तरांचल राज्य के शासकीय गजट में तद्दिनांक को कर दिया जाये।
(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-उक्त की अंग्रेजी अनुवाद सहित, उप निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- निजी सचिव, मा० सहकारिता मंत्री उत्तरांचल शासन।

3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

4-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।

5-समस्त सचिव/अपर सचिव/संचुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तरांचल शासन।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

7-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

8-उप निबन्धक, /अपर निबन्धक/निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल अल्मोड़ा।

9-समस्त सम्बन्धित संस्थाएँ/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।

10-समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।

11-समस्त अनुभाग, सचिवालय।

12- समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० उत्तरांचल।

आज्ञा से

(डा०पी०एस०गुर्गोई)

अपर सचिव,

**उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या-24/सह0/2000
देहरादून:/ दिनांक: 31 मार्च, 2001
कार्यालय-ज्ञाप**

उत्तरांचल में सहकारिता कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तथा सुसंगत करने के लिये दि० 31.01.2001 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से उत्तरांचल राज्य में निम्नानुसार दो सहकारी शीर्ष संस्थाओं के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तरीय सहकारी बैंक के रूप में जिला सहकारी बैंको के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करायेगा, उत्तरांचल में दीर्घकालीन ऋण के लिए बनी शीर्ष सहकारी बैंक की शाखाओं को इस प्रस्तावित बैंक के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।

3-उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ प्रदेश स्तर पर समस्त ऋणोत्तर कार्य करेगी जैसे मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषि उपजों की खरीद, नैफेड/एन०सी०डी०सी० के कार्यक्रम इत्यादि।

4-उपरोक्त दोनों संस्थाओं में वर्तमान में शीर्ष संस्थाओं के उपलब्ध कर्मचारियों/अधिकारियों को यथासम्भव समायोजित किया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार उक्त संस्थाएँ अपनी मानक उपविधियों के अनुसार कार्य करेगी, जिला सहकारी बैंको में कार्यरत वर्ग-1 एवं प्रवेश की भौति उत्तरांचल में भी सम्वर्ग प्राधिकारी का गठन किया जायेगा।

5-उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय हल्द्वानी में तथा उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय देहरादून में होगा।

6-सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उपरोक्तानुसार दोनों शीर्ष संस्थाओं के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगा।

(डा०आर०एस०टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन सं. 24 (1)/सह०/2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
- 2-सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
- 3-सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
- 4-समस्त प्रमुख सचिव उत्तरांचल शासन।
- 5-आयुक्त कुमायूँ मंडल, नैनीताल/गढ़वाल मंडल पौड़ी।
- 6-आयुक्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7-अपर सचिव, सहकारिता उत्तरांचल शासन।
- 8-संयुक्त सचिव गृह/गोपन (मंत्रीपरिषद)उत्तरांचल शासन।
- 9-निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 10-अपर निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
- 11-उप निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
- 12-संयुक्त विकास आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 13-समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 14-क्षेत्रीय निदेशक, एन०सी०डी०सी० क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
- 15-सचिवालय के समस्त विभाग।
- 16-उपनिदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तरांचल रुड़की को 200 प्रति मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 17-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा०पी०एस०गुसाँई)
अपर सचिव

**उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग**
संख्या 159(1)/IX/व0ग्रा0वि0/सह0/2001
देहरादून: दिनांक: 31 अगस्त 2001

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 ग, 1966) की धारा 122 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1-1904) की धारा-21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम सं0 XI सन् 1966 के अधीन गठित उ0 प्र0 सहकारी सेवा मण्डल नियमावली जो अधिसूचना सं0-366-ग/12-ग-3-36-71 दिनांक 04.03.1972 गजट दिनांक 24.02.1973 में प्रकाशित हुई थी, को श्री राज्यपाल विखण्डित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल, यह भी अधिसूचित किये जाने कि सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तरांचल राज्य की समस्त सहकारी समितियाँ जो उक्त अधिनियम की धारा 122 एवं इसके अधीन उक्त नियमावली की परिसीमा के अन्तर्गत थी, को निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल देहरादून द्वारा नियमित एवं नियंत्रित किया जायेगा।

उक्त प्राविधानों के सन्दर्भ में, यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन के दिनांक से तुरन्त प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव,

संख्या /IX /व.ग्रा.वि. /सह. /2001 /तददिनांक।

- 1-निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री उत्तरांचल शासन।
- 2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4-समस्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तरांचल शासन।
- 5-समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6-समस्तत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।
- 7-उक्त की प्रति अंग्रेजी अनुवाद सहित, उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियाँ शासन के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8-उप निबन्धक/अपर निबन्धक/निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल अल्मोड़ा।
- 9-समस्त सम्बन्धित संस्थाएँ, द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 10-समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।
- 11-समस्त अनुभाग, सचिवालय।
- 12-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तरांचल।

आज्ञा से

(डा0पी0एस0गुर्साई)
अपर सचिव,

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास
सहकारिता विभाग
संख्या 448/व0ग्रा0वि0/सह0/2003
देहरादून: दिनांक: 28 अगस्त, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2003) की धारा 3 (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम में रजिस्ट्रार की शक्तियों अपर निबन्धक सहाकारी समितियाँ उत्तरांचल उप निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल को प्रयोग किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के अतिरिक्त अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील क्षेत्र को सब-रजिस्ट्रार घोषित करते हुए उन्हें अपने अधिकारिता क्षेत्र की प्राथमिकता सहकारिताओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहकारिताओं को निबन्धित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,

संख्या _____/तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त अपर जिला सहकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
- 2-समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
- 3-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तरांचल।
- 4-उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल।
- 5-अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल मुख्यालय।
- 6-निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल अल्मोड़ा।
- 7-निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी।
- 8-उप निदेशक, राजकीय प्रेस रुड़की को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजकीय-गजट में प्रकाशित करते हुए गजट की 200 प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव,

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-5
सं0- / वि0 अनु0-5 / स्टाम्प / 2003
देहरादून: दिनांक 15 सितम्बर, 2003।

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 (दस) लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,

संख्या-317(1) / वित्त अनु0-5 / स्टाम्प / 2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3-महानिरीक्षक, निबन्धक, उत्तरांचल, देहरादून।
- 4-महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड इलाहाबाद।
- 5-उप निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 6-न्याय/विधायी अनुभाग।
- 7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव,



निबन्धन प्रमाण-पत्र

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 सहपठित उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11.1966 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 उत्तरांचल को सहकारी समिति के रूप में निबन्धित करने के श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा अन्य द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम संख्या 11.1966/की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया गया है, और उक्त समिति/निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित उपविधियों सहित/उक्त अधिनियम के अधीन उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तरांचल राज्य की, संख्या यू0 02 के रूप में निबन्धित की गयी।

मुहर—

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल,
अल्मोड़ा।

दिनांक—

उत्तरांचल सरकार



निबन्धन-प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (सह पठित उ०प्र० पुर्नगठन 2000) (उत्तरांचल अधिनियम सं० 11.1966) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि० को सहकारी समिति के रूप में निबन्धित करने के श्री नवीन चन्द्र दुमका तथा अन्य द्वारा उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 (सहपठित उ० प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000)/उ० प्र० अधिनियम सं० 11,1966/की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त [समिति/निबन्धन](#) के लिए प्रार्थना पत्र सके साथ प्रेषित उपविधियों [सहित/उक्त](#) अधिनियम के अधीन, उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उत्तरांचल राज्य की संख्या यू०-01 के रूप में निबन्धित की गयी

मुहर—

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल,
अल्मोड़ा।

दिनांक-04-06-2001

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003

अभिलेख का नाम – उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003

अभिलेख का प्रकार – अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—इस अभिलेख में सहकारी समितियों के निबन्धन, समितियों के सदस्यों के दायित्व समितियों का प्रबन्धन, निधियाँ तथा संचालन की रीति का उल्लेख है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ,
लि०, मुख्यालय यू०सी०एफ० सदन, दीपनगर
रोड, अजबपुरकलां, देहरादून, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

दूरभाष : 0135-2665020

फैक्स : 0135-2665020

ई० मेल०— ucfdehradun@gmail.com

अन्य :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)—रु० 125.00 का शुल्क जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003

अभिलेख का नाम – उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003

अभिलेख का प्रकार– अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – इस अभिलेख में स्वायत्त सहकारी समितियों के निबन्धन, समितियों के सदस्यों के दायित्व समितियों का प्रबन्धन, निधियों तथा संचालन की रीति का उल्लेख है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ,
लि०, मुख्यालय यू०सी०एफ० सदन, दीपनगर
रोड, अजबपुरकलां, देहरादून, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

दूरभाष : 0135-2665020

फैक्स : 0135-2665020

ई० मेल०—ucfdehradun@gmail.com

अन्य :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) – रु० 125.00 का शुल्क जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।

उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004

अभिलेख का नाम – उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004

अभिलेख का प्रकार– नियमावली

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – इस अभिलेख को उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 128 के अन्तर्गत बनाया गया है। यह नियमावली सहकारी समिति अधिनियम 2003 को कार्यान्वित किये जाने के उद्देश्य से बनायी गयी है। इस नियमावली में अधिनियम को व्याख्यायित किया गया है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ,
लि०, मुख्यालय यू०सी०एफ० सदन, दीपनगर
रोड, अजबपुरकलां, देहरादून, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

दूरभाष : 0135-2665020

फैक्स : 0135-2665020

ई० मेल०-ucfdehradun@gmail.com

अन्य :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) – रु० 125.00 का शुल्क जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।

उत्तरांचल अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 2004

अभिलेख का नाम – उत्तरांचल अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 2004

अभिलेख का प्रकार– नियमावली

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – इस अभिलेख में सहकारिता विभाग के निरीक्षक संवर्ग-1 तथा निरीक्षक संवर्ग-2 की सेवाओं तथा पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दूरभाष : 0135-2685634

फैक्स : 0135-2685634

ई0 मेल0-rsuttarakhand@gmail.com

अन्य :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) –

उत्तरांचल तृतीय वर्ग अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 2004

अभिलेख का नाम – उत्तरांचल तृतीय वर्ग अधीनस्थ सहकारी सेवा नियमावली 2004

अभिलेख का प्रकार– नियमावली

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – इस अभिलेख में सहकारिता विभाग के निरीक्षक संवर्ग-3 की सेवाओं तथा पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : निबन्धक, सहकारी समितिया उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दूरभाष : 0135-2685634

फैक्स : 0135-2685634

ई0 मेल0-rcsuttarakhand@gmail.com

अन्य :

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) –